UPSH010076392021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-1, शाहजहाँपुर।

उपस्थितः आशीष वर्मा (एच०जे०एस०),
सत्र परीक्षण संख्या-1716/2021
सी०एन०आर० सं०-UPSH010076392021

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन।

बनाम

टिंकू उर्फ शिवपूजन पुत्र स्व० मदनलाल गुप्ता निवासी मठिया कालोनी, थाना रौजा, जिला शाहजहाँपुर।
.....अभियुक्त।

मु०अ०सं०-359/2021
धारा-498A, 302 भा०दं०सं०, 304B व
धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना-रौजा, जिला-शाहजहाँपुर।

निर्णय

1- प्रस्तुत सत्र परीक्षण सं०-1716/2021 में अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन के विरुद्ध धारा-498A, 302, 304B भा०दं०सं० व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना-रौजा, जिला-शाहजहाँपुर का विचारण किया गया है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी रामदास गुप्ता पुत्र पूरनलाल निवासी ग्राम गोबर संडा, थाना तिलहर ने दिनांक 29.06.2021 को थाना रौजा पर इस आशय की लिखित तहरीर दी कि "प्रार्थी रामदास गुप्ता पुत्र पूरनलाल निवासी ग्राम गोबर संडा, थाना तिलहर का निवासी है। प्रार्थी ने अपनी पुत्री की शादी दिनांक 18.05.2020 को टिन्कू पुत्र मदनलाल निवासी रौजा के साथ की थी। शादी के बाद टिन्कू ने अपनी पत्नी विमला को प्रताड़ित करना शुरु कर दिया। लड़की से दहेज में एक मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये की माँग करने लगा। माँग पूरी न होने की वजह से प्रार्थी की लड़की को कई बार मारा पीटा भी, जिसके चलते प्रार्थी ने महिला थाने में शिकायत भी की। बाद में समझौता होने पर प्रार्थी ने अपनी लड़की को उसके ससुराल में भेज दिया, वहाँ जाकर फिर से लड़की के साथ मारपीट करने लगे ससुराल वाले। प्रार्थी ने कई बार समझाया, लेकिन टिन्कू व उसके घर वाले नहीं माने और पैसे व मोटरसाइकिल मायके से लाने की माँग लड़की से करते करे। माँग पूरी नहीं होने पर आज दिनांक 29.06.2021 को टिन्कू पुत्र मदनलाल व टिन्कू की माँ व रामपूजन पुत्र मदनलाल व टिन्कू का रिश्तेदार संजय व उसकी पत्नी और टिन्कू का भाँजा रवि पुत्र आत्माराम ने मिलकर प्रार्थी की पुत्री को जान से मार दिया व दिखावे के तौर पर फाँसी के फंदे पर लटका दिया। टिन्कू का संबंध पड़ोस में रहने वाली औरत से

Digitally signed by ASHISH VARMA
Date: 2026.03.23 17:09:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है। वो जैसा करती है। टिन्कू वैसा ही करता है। उसके कहने पर ही टिन्कू ने प्रार्थी की पुत्री विमला की हत्या कर दी।"

3- वादी की उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 29.06.2021 को समय 21.50 बजे थाना रोजा में अभियुक्तगण टिंकू, टिंकू की माँ, रामपूजन, संजय टिंकू का रिश्तेदार, संजय की पत्नी व रवि टिंकू का भान्जा के विरुद्ध मु०अ०सं०-359/2021, धारा-304B भा०दं०सं० व 3/4 डी.पी.एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी। मुकदमा कायमी का इन्द्राज जी.डी. रपट सं०-50 समय 21.50 बजे किया गया। मामले की विवेचना ए.सी.पी.-03 अरविन्द कुमार को सुपुर्द की गयी। विवेचक ने मामले की विवेचना करते हुए नक्शा नजरी घटनास्थल तैयार किया तथा गवाहों के बयान अंकित किये तथा विवेचना के उपरान्त अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन पुत्र मदनलाल के विरुद्ध धारा-304B, 498A भा०दं०सं० व 3/4 डी.पी.एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया तथा अन्य अभियुक्तगण की नामजदगी गलत पायी गयी।

4- विचारण न्यायालय में आरोप पत्र प्राप्त होने पर केस का प्रसंज्ञान लिया गया और धारा 207 दं०प्र०सं० में दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन करने के उपरान्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-14, शाहजहाँपुर ने अपने आदेश दिनांक 23.11.2021 से उक्त मामले को सत्र न्यायालय सुपुर्द कर दिया।

5- सत्र न्यायालय में उक्त मामला सत्र परीक्षण सं०-1716/21, राज्य बनाम टिंकू उर्फ शिवपूजन के रूप में दर्ज हुआ। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया। न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर द्वारा दिनांक 29.03.2022 को अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन के विरुद्ध धारा 498A, 302 भा०दं०सं० व 3/4 डी.पी.एक्ट वैकल्पिक धारा-304B भा०दं०सं० का आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

6- अभियोजन पक्ष ने अपने केस को साबित करने के लिए पी.डब्लू.-1 रामदास वादी, पी.डब्लू.-2 राजरानी, पी.डब्लू.-3 रामू गुप्ता, पी.डब्लू.-4 डॉ० वीरेन्द्र कुमार, पी.डब्लू-5 ए.सी.पी.-03 अरविन्द कुमार, पी.डब्लू.-6 एस.आई. आनन्द पाल सिंह, पी.डब्लू 7 एस.आई. प्रदीप कुमार को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया और अभियोजन ने अपना साक्ष्य समाप्त किया।

क्रमाँक	साक्षी का नाम
पी.डब्लू 1	रामदास (वादी)
पी.डब्लू 2	राजरानी(मृतका की माँ)
पी.डब्लू 3	रामू गुप्ता(मृतका का चाचा)
पी.डब्लू 4	डॉ० विरेन्द्र कुमार(पोस्टमार्टमकर्ता)
पी.डब्लू 5	ए.सी.पी.-03 अरविन्द कुमार (विवेचक)
पी.डब्लू 6	उ०नि० आनन्द पाल सिंह (एफ.आई.आर. लेखक)
पी.डब्लू 7	उ०नि० प्रदीप कुमार(पंचायतनामाकर्ता)

7- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.-1 वादी रामदास ने तहरीर प्रदर्श क-1, पी.डब्लू.-4 डा० वीरेन्द्र कुमार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क-2, पी.डब्लू 5 ए.सी.पी.-03 अरविन्द कुमार ने आरोप पत्र को प्रदर्श क 3, नक्शा नजरी को प्रदर्श क 4, शादी कार्ड को प्रदर्श क 5, जी.डी. सं०-18 को प्रदर्श क 6 व सूचना का०सं०-19 को प्रदर्श क 7, पी.डब्लू 6 एस.आई. आनन्द पाल सिंह ने एफ.आई.आर. को प्रदर्श क 8, जी.डी. कायमी को प्रदर्श क 9, पी.डब्लू 7 एस.आई. प्रदीप कुमार ने पंचायतनामा, फोटो नाश, चालान नाश, चिट्ठी सी.एम.ओ., चालान नाश को क्रमशः प्रदर्श क 10 लगायत प्रदर्श क 14 के रूप में साबित किया है।

अभियोजन प्रपत्र	**जिस साक्षी द्वारा साबित किया गया**
प्रदर्श क 1- तहरीर	पी.डब्लू 1 रामदास
प्रदर्श क 2-पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी.डब्लू 4 वीरेन्द्र कुमार
प्रदर्श क 3-आरोप पत्र, प्रदर्श क-4 नक्शा नजरी, प्रदर्श क-5 शादी कार्ड, प्रदर्श क-6 कायमी जी.डी., प्रदर्श क-7 सूचना का०सं०-19	पी.डब्लू 5 ए.सी.पी.-03 अरविन्द कुमार
प्रदर्श क 8-एफ.आई.आर., प्रदर्श क-9 जी.डी. कायमी	पी.डब्लू 6 उ०नि० आनन्द पाल सिंह
प्रदर्श क 10 लगायत प्रदर्श क 14 पंचायतनामा, फोटोनाश, चालान नाश, चिट्ठी सी.एम.ओ. चालान नाश	पी.डब्लू 7 उ०नि० प्रदीप कुमार

8- **पी.डब्लू.-1 के रूप में वादी रामदास** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " *इस मुकदमें की मृतका विमला मेरी बेटी थी। आज से करीब ढाई साल पहले मैंने अपनी बेटी विमला की शादी हाजिर अदालत मुल्जिम टिंकू उर्फ शिवपूजन से की थी और अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया। शादी के बाद हाजिर अदालत मुल्जिम टिंकू उर्फ शिवपूजन व उसकी माँ राजेश्वरी व उसका भाई रामपूजन व उसके रिश्तेदार संजय तथा संजय की पत्नी कंगना और टिंकू का भाँजा रवि मेरी बेटी विमला से अतिरिक्त दहेज में एक मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये की माँग करने लगे। अतिरिक्त दहेज माँगने वाली बात विमला ने मुझे मेरी पत्नी व अन्य घरवालों को बतायी, तो मैंने विमला के पति व ससुरालवालों से और दहेज दे पाने में असमर्थता जताई, तो उपरोक्त लोग नहीं माने और मेरी बेटी विमला को उपरोक्त दहेज की बिना पर गाली गलौज करके मारपीट करके प्रताड़ित करने लगे। मैंने कई बार समझाया, लेकिन नहीं माने, तो मैंने उपरोक्त लोगों की महिला थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद महिला थाने में मुझे, मेरी बेटी विमला तथा विमला के पति टिंकू उर्फ शिवपूजन तथा विमला के ससुरालवालों को बुलाकर महिला पुलिस ने समझौता करवाकर विमला को उसके पति के साथ ससुराल भिजवाया था। उसके थोड़े दिन बाद उपोर्कत लोग फिर से दहेज में मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये की माँग करके गाली-गलौज करके व मारपीट करके विमला को परेशान करने लगे। आज से करीब डेढ़ साल पहले उपरोक्त लोगों ने दहेज की खातिर मेरी बेटी को मारपीट कर फाँसी पर लटकाकर मार डाला। घटना की सूचना विमला के पड़ोसियों*

से मिलने पर मैं अपनी पत्नी व परिवार वालों व रिश्तेदारों के साथ विमला के ससुराल पहुँचा, तो विमला के पति सहित ससुराल का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, फिर मैंने थाने के बाहर एक अन्जान व्यक्ति से बोल-बोलकर घटना की तहरीर लिखायी थी। तहरीर लिखने वाले ने तहरीर मुझे पढ़कर सुनायी थी। फिर तहरीर पर हस्ताक्षर करने के बाद थाने पर देकर मैंने घटना का मुकदमा लिखाया। शामिल पत्रावली तहरीर का०सं०-5 क गवाह को दिखायी व पढ़कर सुनायी गयी, तो गवाह ने तहरीर के मजमून व अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। सी.ओ. साहब ने मुझसे पूछताछ करके बयान लिये थे और मुझे ले जाकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया था। शामिल पत्रावली तहरीर का०सं०-5 क पर प्रदर्श क 1 डाला गया। मेरी बेटी विमला की लाश की लिखापढ़ी पुलिस ने मेरे सामने की थी और पंचायतनामा पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे। शामिल पत्रावली पंचायतनामा का०सं०-7 क/1 लगायत 7 क/2 गवाह को दिखाया गया, तो उसने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की।"

पी.डब्लू.-2 के रूप में राजरानी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "*मेरी पुत्री का नाम विमला था। विमला की मृत्यु हो चुकी है। विमला की मृत्यु के समय उनकी शादी हो चुकी थी। विमला की शादी टिन्कू उर्फ शिवपूजन के साथ हुई थी। विमला को मरे आज एक साल हो गया है। दूसरी चल रही है। जब विमला मरी थी, तब उसकी शादी को एक साल हो गया था। विमला को उसकी ससुराल वालों ने मारकर लटका दिया था। शादी के बाद विमला के ससुराल वाले उसे एक लाख रुपया और गाड़ी की माँग को लेकर लगातार मारते पीटते व परेशान करते थे। विमला को उसकी सास, उसका पति और जेठानी की लड़की कन्चना, उसके पति संजय व जेठ रामपूजन परेशान करते थे। घटना के बारे में दरोगा जी ने घटना के चार-पाँच दिन बाद मुझसे पूछताछ की थी। मेरी लड़की अपने साथ हुई मारपीट के बाबत मुझे फोन से घर आने पर बताती थी। मैंने दरोगा जी के माँगने पर उन्हें अपनी लड़की की शादी का कार्ड दिया था।*"

पी.डब्लू-3 के रूप में रामू गुप्ता ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि *"इस मुकदमें की मृतका विमला देवी मेरी भतीजी थी। विमला की शादी मठिया कालोनी, रौजा में टिन्कू गुप्ता के साथ हुयी थी। मृतका की मृत्यु के समय मृतका की शादी हो चुकी थी। मृतका जिस समय मरी थी, वह अपनी ससुराल में थी। मृतका की मृत्यु दिनॉक 29.06.2021 को हुयी थी। मरने से लगभग दो वर्ष पहले उसकी शादी हुयी थी। शादी का दिनाँक व महीना व समय मुझे ध्यान नही है। मौसम गर्मी का था। शादी के बाद विमला का सम्बन्ध अपनी ससुराल वालों से बहुत खराब था, क्योकि ससुरालीजन उससे दहेज मॉगते थे । दहेज मे एक लाख रूपये व एक मोटर साईकिल माँगते थे, जोकि हम लोग नहीं दे पाये थे, जिस पर ससुराली मृतका को मारते पीटते थे और कहते थे कि दहेज मॅगाओ नहीं तो जान से मार देगें। विमला को उसकी सास, पति टिन्कू व टिन्कू का भाई मारते पीटते व दहेज के लिये परेशान करते थे। विमला जब ससुराल से घर आती थी, तो वह दहेज मॉगने मारने पीटने व परेशान करने वाली बात हम लोगो को बताती थी। उसने मुझे व अपने माता पिता व भाई को उपरोक्त बाते स्वयं बतायी थी। वह हम लोगो को दहेज माँगने वाली बात फोन पर भी बताती थी। विमला ने मरने से लगभग 10-15 दिन पहले मुझे फोन से दहेज मांगने व मारने पीटने वाली बात बतायी थी। मुझे विमला की मृत्यु के बारे में अपने भाई से पता लगा*

था। पता चलने पर मैं अपने भाई के साथ विमला की ससुराल गया था, जहाँ विमला मृत अवस्था में लटकी हुयी थी, पुलिस वहाँ मौजूद थी। लाश की लिखा पढी वहाँ पर मौजूद नायब तहसीदार महोदय ने दरोगा जी से बोल बोल कर लिखवाकर मेरे सामने की थी। मैंने लिखा पढी पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। घटना के बारे में दरोगा जी ने मेरा बयान अपने ऑफिस में घटना के लगभग 5-6 दिन बाद लिया था।"

पी.डब्लू-4 के रूप में डा० वीरेन्द्र कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "*दिनांक 30.06.2021 को मेरी डीयूटी पी०एम० हाउस में लगी हुयी थी। उस दिन मृतका विमला देवी पत्नी शिव पूजन उर्फ टिन्कू गुप्ता उम्र करीब 21 वर्ष नि० मो० मठिया कालोनी थाना रौजा जिला शाहजहाँपुर के शव को सिपाही 2187 मोहित कुमार एंव महिला सिपाही 2359 सिमरन थाना रौजा जिला शाहजहाँपुर के शव को आठ पुलिस पेपर के साथ लेकर आये थे। शव को थानाध्यक्ष रोजा एंव नायब तहसीलदार सदर के द्वारा भेजा गया था। शव का विच्छेदन सं0-596/2021 समय 02:40 पी०एम० पर शुरू किया था एंव 03:30 पी०एम० पर पूर्ण किया था। शव का विच्छेदन पैनल द्वारा हुआ था जिसमें मेरे साथ डॉ० घनश्याम चिकित्साधिकारी सी०एच०सी० पुवायों जिला शाहजहाँपुर भी थे। शव की पहचान रामू गुप्ता पुत्र रघुवर गुप्ता नि० ग्राम गोवर सण्डा, थाना तिलहर जिला शाहजहाँपुर (चाचा) एंव दिनेश गुप्ता पुत्र मुरली गुप्ता नि० ग्राम कौढा, थाना देहात कोतवाली, जिला हरदोई ने की थी। शव की ऊचाई 148 से०मी० एंव शरीरिक बनावट मध्यम औसत कद काठी की थी। शरीर पर निम्न वस्त्र पाये गये थे- 1- गले में साडी का फन्दा गाँठ सहित, एक कुर्ता, एक सलवार, छः विछिया, तीन प्लास्टिक के कडे एंव कांच की चूडी, दो हाथ के छल्ले, एक नाक की पिन, एक बालो का रबड वैण्ड था। पी०एम० स्टेनिंग बैंक में मौजूद थी, अकड़न ऊपरी हिस्से से जा रही थी एंव निचले हिस्से में मौजूद थी। आँखें बन्द थी, मुँह खुला हुआ था एवं जीभ बाहर निकली हुयी थी, दॉत 15/15 थे। मृत्यु पूर्व चोटें गर्दन के चारो ओर 28 से०मी० X 03.50 से०मी० फन्दे का निशान था चिन्न एंव लैरिंगास के मध्य में दाहिने कान से 7 से० मी० नीचे एंव बाँये कान से 04.30 से०मी० नीचे एंव थोडी से 03 से०मी० नीचे ऊपर की ओर तिरछा गले का फन्दा स्थित था, जोकि गर्दन के बाँयी ओर 04 से०मी० का गैप लिये हुआ था। फन्दे का गुरूप सूखा एंव पारचमेन्ट लाइक था, जिसको काटने पर अन्दर के ऊतक सफेद एंव चमकदार थे। चोट सं0-2 बाँयी जॉघ के बाहरी ओर घुटने से 11 से०मी० ऊपर 04 से०मी० X 03.00 से०मी० का नीलगू निशान था। चोट सं०-3 बाँये पैर के बाहरी ओर घुटने से 10 से०मी० नीचे 05 से०मी० X 02.00 से०मी० का नीलगू निशान था। चोट सं0-4 दाहिने वर्सट पर निपल से 2 से०मी० ऊपर 03 से०मी० X 03.00 से०मी० का निशान था।*

ब्रेन कन्जेस्टेड था। दोनो फेफेडे कन्जस्टेड थें। दिल का दाहिना हिस्सा भरा हुआ तथा बाँया खाली था, पेटें 200 ग्राम पेस्टी फूड मटेरियल मौजूद था, छोटी ऑत में कायम व गैसें थी तथा बडी ऑत में मल एंव गैसें मौजूद थी। पित्त की थैली आधी भरी हुई थी, लीवर, तिल्ली एंव दोनो गुर्दे कन्जेस्टेड थे। पिशाब की थैली खाली थी, बच्चेदानी भी खाली थी।

मेरी राय में मृत्यु का समय करीब 1 दिन था एवं मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व हैगिंग से उत्पन्न श्वासावरोध से हुआ था। शामिल पत्रावली कागज सं० 8 क/1 लगायत 8 क/4 को साक्षी ने देखकर साक्षी ने उसके अपने

लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की । पी०एम०आर० पर प्रदर्श क-2 डाला गया। मेरे द्वारा सम्पूर्ण पोस्टमार्टम की कार्यवाही घनश्याम के साथ गठित पैनल के सदस्य के रूप में की गयी थी।"

पी.डब्लू.-5 के रूप में अरविन्द कुमार ए.सी.पी.-03 ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि "*दिनॉक 29.06.2021 को बतौर सी०ओ० सदर उपरोक्त अभियोग की विवेचना ग्रहण की थी और उसी दिन केस डायरी का पहला पर्चा अंकित किया था। जिसमें मैने नकल एफ०आई०आर०, नकल रपट कायमी, बयान एफ०आई०आर० लेखक आनन्द पाल सिंह अंकित किये थे तथा दिनाँक 30.06.2021 को सी०डी० के दूसरे पर्चे पर वादी का बयान तथा उसकी निशानदेही पर किये गये निरीक्षण घटना स्थल का विवरण भी उपरोक्त पर्चे पर अंकित किया था एवं इसी पर्चे पर मृतका की सास के सम्बन्ध में की गयी पूछ ताछ का विवरण एव दिनाँक 02.07.2021 को सी०डी० के तीसरे पर्चे पर पंचायतनामे की नकल एवं पी०एम०आर० की मूल एंव कार्बन प्रति की नकल करके पी०एम०आर० की मूल एवं कार्बन प्रति संलग्न सी०डी० किये जाने का विवरण भी अंकित किया था। दिनाँक 02.07.2021 को सी०डी० के चौथे पर्चे पर अभियुक्त की गिरफ्तारी का विवरण तथा उसका बयान एंव दिनाँक 04.07.2021 को सी०डी० के पाँचवें पर्चे पर साक्षी राजरानी रामू गुप्ता के बयान एंव सी०डी० के छठे पर्चे पर दिनांक 06.07. 2021 को स्वतत्र साक्षीगण देवेन्द्र कुमार गुप्ता पूनम गुप्ता श्याम लाल, श्रीमती रानी, शैलेश नीलम, लालाराम, फूलमती के वयान एंव दिनाँक 08.07.2021 को सी०डी० के सातवें पर्चे पर पं० प्रमोद कुमार जिन्होंने मृतका का विवाह सन् 2020 में कराया था का बयान एवं राजेश कुमार प्रधान का बयान अंकित किया था। दिनाँक 10.07.2021 को नायव तहसीलदार रितुराज एंव पंचायतनामा करने वाले साक्षी प्रदीप कुमार एवं दिनॉक 12.07.2021 को सी०डी० के नर्वे पर्चे पर पी०एम्० करने वाले निरीक्षक डॉ० वीरेन्द्र कुमार व डॉ० घनश्याम का बयान मेरे द्वारा अंकित किया गया। दिनाँक 20.07.2021 को सी०डी० के बारहवें पर्चे पर शपथकर्तागण संतोष, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती छोटी विटिया, मुनेश गुप्ता, श्री लालाराम तथा श्रीमती अनीता जिनके द्वारा विवेचना में शपथ पत्र दिये गये थे। उनके बयान उपरोक्त पर्चे पर अंकित किये थे। दिनाँक 21.07.2021 को सी०डी० के तेहरवें पर्चे पर संकलित साक्ष्य के आधार पर मेरे द्वारा उपरोक्त अभियोग में नामित राजेश्वरी, राम पूजन, संजय, कंचन, रवि की नामजदगी गलत पायी जाने का उल्लेख किया गया था। दिनाँक 22.07.2021 को सी०डी० के चौदहवें पर्चे पर मेरे द्वारा अभियोग में नामित उपरोक्त व्यक्तियों के बयान तथा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-367/2021 अन्तर्गत धारा 498 ए, 304 बी० भा०दं०स० व 3/4 डी०पी०एक्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित किया था। दिनांक 28.07.2021 को मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के आदेश के अनुक्रम में उपरोक्त अभियोग में और अधिक साक्ष्य संकलित करने के लिये पुनः विवेचना उपरोक्त पदीय हैसियत में ही ग्रहण की गयी थी और दिनांक 02.08.2021 एंव दिनाँक 05.08.2021 को एस०सी०डी० के पर्चा सं०-02 एवं 03 अंकित किये गये थे। उपरोक्त पर्चों में मैने ग्रामवासी सुशील कुमार, गुड्डू, राज बहादुर, सरोजनी देवी, माया देवी, नन्हीं देवी, राधादेवी, कमला, सूरजमुखी, भारत, दिनेश, मुकेश, सीमा, पूनम, शब्बीर शाह एंव सीमा उर्फ मोना तथा आत्माराम एव चिकित्सक डॉ० राम रहीश के बयान अंकित किये थे*

तथा संकलित साक्ष्य के आधार पर श्रीमती राजेश्वरी देवी के विरूद्ध स्थिति पूर्ववत पाते हुये उपरोक्त अभियोग की विवेचना समाप्त की थी। उपरोक्त अभियोग की पत्रावली में कागज सं0-03 क/1 लगायत 3 क/5 आरोप पत्र एंव कागज सं0-06 क नक्शा नजरी को साक्षी के द्वारा स्वयं तैयार किया जाना स्वीकार किया गया तथा उस पर बने अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि की गयी। पत्रावली में शामिल शादी का कार्ड साक्षी ने स्वयं के द्वारा मृतका की माँ के द्वारा दिये जाने के आधार पर संकलित कराना भी स्वीकार किया उपरोक्त प्रपत्रों पर कमशः प्रदर्श क-03 लगायत प्रदर्श क-05 डाला गया। शामिल पत्रावली कागज सं0-19 जोकि टिंकू उर्फ शिवपूजन द्वारा प्रभारी निरीक्षक रौजा को दी गयी लिखित सूचना है, मेरे द्वारा विवेचना के क्रम में संकलित की गयी, जिसका खुलासा दिनाँक 29.06.2021 समय 19:28 बजे जी०डी० सं०-44 पर किया गया था तथा जो कागज सं0-18 के रूप में शामिल पत्रावली है, भी मेरे द्वारा संकलित किया गया था। उपरोक्त प्रपत्रों पर कमशः प्रदर्श क 6 व प्रदर्श क-7 डाला गया।"

पी.डब्लू-6 के रूप में एस.आई. आनन्द पाल सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *"दिनॉक 29.06.2021 को मेरे द्वारा बतौर एच०एम० तैनाती के दौरान थाना रौजा पर उपरोक्त अभियोग की चिक एफ०आई०आर० वादी की लिखित तहरीर के आधार पर शब्द व शब्द सी०सी०टी०एन०एस० कम्प्यूटर साफ्टवेअर पर अंकित करवायी गयी थी और इसी दिनॉक को जी०डी० सं०-50 समय 21:50 बजे मेरे द्वारा उपरोक्त पदीय हैसियत में उपरोक्त स्थान पर तैनाती के दौरान ही उपरोक्त प्रक्रिया से उपरोक्त अपराधिक प्रकरण की प्रविष्टि थाने के रोजनामचाआम में करवायी गयी थी। मैने उपरोक्त दोनो अंकन स्वयं थाने के कम्प्यूटर आपरेटर से बोल बोलकर करवाये थे। जो शामिल पत्रावली कागज सं0-04 क/1 लगायत 4 क/3 चिक एफ०आई०आर० तथा कागज सं0-17 जी०डी० कायमी के रूप में पत्रावली में मौजूद है। मै उपरोक्त दोनो प्रपत्रों की शिनाख्त करता हूँ। उपरोक्त दोनो प्रपत्रों पर कमशः प्रदर्श क-08 व प्रदर्श क-09 डाला गया।"*

पी.डब्लू-7 के रूप में एस.आई. प्रदीप कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *"दिनाँक 29.06.2021 को थाना रौजा पर मै वतौर उ०नि० तैनाती के दौरान मेरे द्वारा मृतका विमला देवी पत्नी शिव पूजन उर्फ टिन्कू गुप्ता, नि० मो मठिया कालोनी, थाना रौजा जिला शाहजहाँपुर के शव का पंचायतनामा शिवपूजन के घर पर जाकर समय लगभग 19:45 बजे प्रारम्भ करके उसी दिनॉक को समय लगभग 20:45 बजे पूर्ण किया था और पंचायतनामें के समस्त प्रपत्र अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किये थे जो शामिल पत्रावली कागज सं0-07 क/1 लगायत 7 क/2 पंचायतनामा कागज सं0-09 क लगायत 10 क फोटो नाश एवं चालान नाश तथा कागज सं0-20 व 21 चिट्ठी सी०एम०ओ० एवं चालान नाश मेरे समक्ष है। पंचायतनामें की कार्यवाही में मैने सम्पूर्ण कार्यवाही नायब तहसीलदार रितु राज के निर्देशन में की थी और उनके बोलने पर ही उपरोक्त प्रपत्र तैयार किये थे। उपरोक्त कार्यवाही में हम लोगो ने नियुक्ति पंचान दशा शव हुलिया शव, शव पर मौजूद चोटो एवं कपडों का उल्लेख उपरोक्त प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रपत्र पर करने के साथ ही राय पंचान तथा नायब तहसीलदार महोदय की राय तथा मेरी स्वयं की राय पंचायतनामें*

पर उल्लिखित की थी। पंचायतनामें के अन्य प्रपत्र भी उपरोक्त प्रक्रिया से ही तैयार किये गये थे। उपरोक्त प्रपत्रों पर कमशः प्रदर्श क-10 लगायत प्रदर्श क-14 डाला गया।"

9- अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें उसके द्वारा आरोप को गलत बताते हुए कहा कि आरोप झूठा है। वह जन्म से बाँये पैर से विकलांग है और मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। उसकी शादी कोरोना काल में दहेज रहित हुई थी। पी.डब्लू 1 के बयान को झूठा बताते हुए कहा कि पंचायतनामा पर उसके हस्ताक्षर है और महिला थाना पर कोई शिकायत समझौता नहीं हुआ तथा फाँसी पर लटकाकर मार डालने का कथन भी मिथ्या है। मृतका विमला की मृत्यु की सूचना उसने थाने पर दी थी, जिस पर मृतका का पंचायतनामा हुआ था। पी.डब्लू 2 के बयान के बयान में कहा कि मृतका के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। सूचना देने एवं घर पर बताने का कथन झूठ है। पी.डब्लू 3 के बयान के संबंध में कहा कि यह साक्षी विवाह में शामिल नहीं हुआ था और न उसके घर आया। पी.डब्लू 4 के बयान के बारे में कहा कि उसके द्वारा मृतका को कोई चोट नहीं पहुँचायी गयी। शेष अभिलेख का विषय है। पी.डब्लू 5 के बयान के बारे में कहा कि फर्जी बयान दर्ज कर झूठा आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। पी.डब्लू 6 के बारे में कहा कि बिना अधिकार गवाह द्वारा विपरीत समय व दिनांक को मुकदमा दर्ज किया गया है। पी.डब्लू 7 के बयान के बारे में कहा कि पंचायतनामा उसकी सूचना पर पुलिस द्वारा किया गया था। अभियुक्त ने यह भी कहा कि भावावेश में आकर झूठा मुकदमा पंजीकृत करवाने के उपरान्त पुलिस के दबाव में साक्षीगण ने झूठी गवाही दी है। अपने बचाव के शेष सभी कथन अपने साक्षियों व अधिवक्ता के माध्यम से वह न्यायालय के समक्ष रखेगा। फर्जी आरोप पत्र दाखिल होने के कारण उसके विरुद्ध मुकदमा चला है। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देने का कथन किया।

अभियुक्त की ओर से बचाव साक्ष्य के रूप में **डी.डब्लू 1 सीमा** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं टिंकू उर्फ शिवपूजन के पड़ोस में मेरा मायका है। मैं अपने मायके आती जाती रहती हूँ। मैं अपने मायके आठवें दसवें दिन में आ जाती हूँ। टिंकू उर्फ शिव पूजन की शादी को हुए करीब चार वर्ष हो चुके हैं। मैंने टिंकू उर्फ शिव पूजन की पत्नी से कभी कोई बात नहीं की। मैं टिंकू उर्फ शिव पूजन की पत्नी जब घर में होती थी, तब मैं कभी भी टिंकू उर्फ शिव पूजन के घर नहीं गयी थी। टिंकू उर्फ शिव पूजन का अपने ससुराल वालों से दहेज को लेकर कोई मामला था और न ही दहेज के बाबत इनका कोई झगड़ा नहीं हुआ था। जब मैं अपने मायके में थी, तो टिंकू उर्फ शिव पूजन की पत्नी ने फाँसी लगा ली थी, तब मैं टिंकू उर्फ शिवपूजन के घर गयी थी। टिंकू उर्फ शिव पूजन के घर पहुँची, तो मैंने देखा कि चारपाई पर टंकी रखी थी, उस पर चढ़कर उसने फाँसी लगायी थी। कमरा अन्दर से बन्द था। मैं मौके पर रुकी थी। मेरे सामने मौके पर पुलिस आ गयी थी। पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस वालों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर उसे निकाला था।

डी.डब्लू 2 नीलम ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं टिन्कू उर्फ शिवपूजन के पड़ोस में रहती हूँ और इस स्थान पर मैं लगभग 25 वर्षों से रह रही हूँ। मेरा टिन्कू उर्फ शिवपूजन के यहाँ आना जाना है। मैं टिंकू की शादी में शामिल हुई थी। मैं टिंकू की पत्नी से मिलने शादी की पहली विदा में

गयी थी और उससे जब बातचीत की, तो उसके हावभाव व बातों से मुझे ये पता चला कि उसका दिमाग कुछ हल्का है। मैं शादी के बाद भी टिन्कू के घर आती जाती रही। मेरे आने जाने के दौरान टिन्कू व उसके परिजनों द्वारा अपनी पत्नी व मायके वालों ने शादी के बाद कोई अतिरिक्त दहेज की न तो माँग की गयी और न ही उसको लेकर कभी कोई विवाद हुआ। टिंकू के पत्नी दो तीन बार मेरे घर आयी औऱ एक बार मुझे बिना बताये कहीं चली गयी, तब मैंने उसको काफी तलाश किया, तो वह मोहल्ले में काफी दूरी पर रेलवे लाइन के किनारे मिली थी, तब मैं उसको समझा कर घर ले आयी थी। टिन्कू की पत्नी ने मानसिक कमजोरी में दो बार घर में छत के कुण्डे से लटककर भी जान देने की कोशिश की थी, किन्तु टिन्कू ने अपनी होशियारी से उसको बचा लिया था। टिन्कू ने अपनी पत्नी की इन हरकतों की शिकायत अपने सास ससुर से की, तो उन लोगों ने टिन्कू से कहा कि वो हमारे यहाँ भी ऐसी ही हरकतें करती थी। इसलिये हम लोग नहीं आयेंगे। तुम अपना देखो। विमला की माँ ने मुझे एक बार टिन्कू के यहाँ आने पर ये जानकारी दी थी कि विमला अपने मायके में लैट्रिन के गढढे में जो कि घर में खुदा था, उसमें भी डूबकर जान देने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन विमला के माता पिता ने उसे बचा लिया था और विमला की इसी मानसिक कमजोरी की वजह से वह कभी स्कूल भी पढ़ने नहीं गयी, यह जानकारी भी विमला की माँ ने मुझे दी थी। घटना वाले दिन मैं भी टिन्कू के घर गयी थी। उस समय पुलिस भी मौजूद थी, वहाँ पर तो मैंने कमरे की खिड़की से देखा, तो विमला पंखे के कड़े से धोती गले में बाँधकर लटकी थी और कमरे का दरवाजा अन्दर से बन्द था। तब पुलिस ने मेरे सामने कमरे का दरवाजा खोला था। पुलिस द्वारा मुझसे व मौके पर मौजूद अन्य लोगों से पूछताछ की थी। टिन्कू ने न तो कोई दहेज माँगा है और न ही दहेज की खातिर अपनी पत्नी को कभी प्रताड़ित किया और न ही उसकी हत्या की है। टिन्कू की पत्नी दिमागी कमजोरी के चलते खुद ही लटक कर जान दे दी है।

10- प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहों द्वारा साबित प्रपत्रों पर पूर्व पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर त्रुटिपूर्वक छूट गये थे, जबकि आदेश पत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद हैं। उभयपक्षों द्वारा इस संबंध में अनापत्ति की गयी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा दिनांक 12.03.2026 को आदेश पत्र पर आदेश पारित करते हुए प्रमाणित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में त्रुटिपूर्वक डा० विरेन्द्र कुमार व विवेचक अरविन्द कुमार के क्रम सं० में पी.डब्लू 4 अंकित हुआ तथा साक्षी उ०नि आनन्द पाल के क्रम में पी.डब्लू 5 व उ०नि० प्रदीप कुमार के क्रम में पी.डब्लू 6 अंकित हुआ, जिस कारण उक्त साक्षियों के क्रम को मेरे द्वारा वाद के प्रभावी निर्णयन हेतु डा० विरेन्द्र कुमार को पी.डब्लू 4, विवेचक अरविन्द कुमार को पी.डब्लू 5, उ०नि० आनन्द पाल सिंह को पी.डब्लू 6 व उ०नि० प्रदीप कुमार को पी.डब्लू 7 अंकित किया गया।

11- मेरे द्वारा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का सम्यकपूर्वक अवलोकन किया गया।

12- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने बहस करते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों ने अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा दी जाये।

13- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में तर्क देते हुए कहा कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने अभियुक्त व उसके परिवार वालों पर सामान्य आरोप लगाये हैं, किसी विशिष्ट तिथि, समय आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन का आचरण सुसंगत है। अभियुक्त व मृतका का विवाह कोरोना काल में हुआ था एवं दहेज की माँग नहीं की गयी थी। अभियुक्त पैर से विकलांग है। अभियोजन की ओर से मृतका के परिवार वालों को परीक्षित कराया गया है, जो हितबद्ध साक्षी है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य में परीक्षित साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त निर्दोष है, उसे रंजिशन फँसाया गया है। मृतका द्वारा आत्महत्या की गयी है।

14– **<u>धारा–498ए भा०दं०सं० के अनुसारः–</u>** जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरणः–इस धारा के प्रयोजन के लिए, "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई माँग पूरी करने के लिए प्रताड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना की उसका कोई नातेदार ऐसी माँग पूरी करने में असफल रहा है।

धारा–304 बी भा०दं०सं० यह प्राविधान करती है कि–जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी माँग के लिए या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जायेगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "दहेज" का वही अर्थ है, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

2– जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।

धारा–3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम यह प्राविधान करती है कि "यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात, जो कोई भी दहेज देता है या लेता है अथवा लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी और पन्द्रह हजार रुपये या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम से, जो भी अधिक हो, हो सकने वाले जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।"

धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम यह प्राविधान करती है कि–"यदि कोई व्यक्ति, प्रत्यक्षता या परोक्षता वर या बधू के माता–पिता या अन्य रिश्तेदारों या पालक से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज माँगता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास से कम की नहीं होगी, परन्तु जो दो वर्षों तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रुपयों तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।"

15- अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने वादी मुकदमा रामदास गुप्ता की पुत्री विमला (मृतका) को उसकी शादी के दिनांक 18.05.2020 के बाद से लेकर उसकी मृत्यु दिनांक 29.06.2021 तक दहेज में मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये की माँग की तथा दहेज की माँग पूरी न होने के कारण उसके साथ मारपीट कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया एवं उसी दहेज की माँग के कारण साशय उसकी हत्या कारित की गयी, जो भा०दं०सं० की धारा 498A, 302 के अधीन दण्डनीय है। अभियुक्त पर विकल्प के रूप में दहेज हत्या का आरोप अंतर्गत धारा-304 B भा०दं०सं० भी विरचित किया गया है। अभियुक्त पर यह भी आरोप है कि उसने मृतका विमला से दहेज में एक मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये की माँग की, जो धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन दण्डनीय है।

इसे साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से परीक्षित पी.डब्लू.-1 वादी मुकदमा रामदास ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि इस मुकदमें की मृतका विमला उसकी बेटी थी। आज से करीब ढाई साल पहले उसने अपनी बेटी विमला की शादी हाजिर अदालत मुल्जिम टिंकू उर्फ शिवपूजन से की थी और अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया। शादी के बाद हाजिर अदालत मुल्जिम टिंकू उर्फ शिवपूजन व उसकी माँ राजेश्वरी व उसका भाई रामपूजन व उसके रिश्तेदार संजय तथा संजय की पत्नी कंगना और टिंकू का भाँजा रवि विमला से अतिरिक्त दहेज में एक मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये की माँग करने लगे। अतिरिक्त दहेज माँगने वाली बात विमला ने उसे उसकी पत्नी व अन्य घरवालों को बतायी, तो उसने विमला के पति व ससुरालवालों से और दहेज दे पाने में असमर्थता जताई, तो उपरोक्त लोग नहीं माने और उसकी बेटी विमला को उपरोक्त दहेज की बिना पर गाली गलौज करके मारपीट करके प्रताड़ित करने लगे। उसने कई बार समझाया, लेकिन नहीं माने, तो उसने उपरोक्त लोगों की महिला थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद महिला थाने में उसे, उसकी बेटी विमला तथा विमला के पति टिंकू उर्फ शिवपूजन तथा विमला के ससुरालवालों को बुलाकर महिला पुलिस ने समझौता करवाकर विमला को

उसके पति के साथ ससुराल भिजवाया था। उसके थोड़े दिन बाद उपरोक्त लोग फिर से दहेज में मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये की माँग करके गाली-गलौज करके व मारपीट करके विमला को परेशान करने लगे। आज से करीब डेढ़ साल पहले उपरोक्त लोगों ने दहेज की खातिर उसकी बेटी को मारपीट कर फाँसी पर लटकाकर मार डाला। घटना की सूचना विमला के पड़ोसियों से मिलने पर वह अपनी पत्नी व परिवार वालों व रिश्तेदारों के साथ विमला के ससुराल पहुँचा, तो विमला के पति सहित ससुराल का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, फिर उसने थाने पर तहरीर दी। तहरीर लिखने वाले ने तहरीर उसे पढ़कर सुनायी थी। फिर तहरीर पर हस्ताक्षर करने के बाद थाने पर देकर उसने घटना का मुकदमा लिखाया। अभियोजन के इस साक्षी ने थाने पर दी गयी तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए उसे प्रदर्श क 1 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी द्वारा साक्ष्य में यह भी बताया गया कि उसकी पुत्री की लाश की लिखापढ़ी पुलिस ने उसके सामने की थी एवं पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर बनवाये थे। इस साक्षी द्वारा शामिल पत्रावली पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। अभियोजन का यह साक्षी, जो मृतका का पिता व वादी मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना की पुष्टि करते हुए अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित पी.डब्लू.-2 राजरानी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी पुत्री का नाम विमला था। विमला की मृत्यु हो चुकी है। विमला की मृत्यु के समय उनकी शादी हो चुकी थी। विमला की शादी टिन्कू उर्फ शिवपूजन के साथ हुई थी। विमला को मरे आज एक साल हो गया है। दूसरी चल रही है। जब विमला मरी थी, तब उसकी शादी को एक साल हो गया था। विमला को उसकी ससुराल वालों ने मारकर लटका दिया था। शादी के बाद विमला के ससुराल वाले उसे एक लाख रुपया और गाड़ी की माँग को लेकर लगातार मारते पीटते व परेशान करते थे। विमला को उसकी सास, उसका पति और जेठानी की लड़की कन्चना, उसके पति संजय व जेठ रामपूजन परेशान करते थे। घटना के बारे में दरोगा जी ने घटना के चार-पाँच दिन बाद उससे पूछताछ की थी। उसकी लड़की अपने साथ हुई मारपीट के बाबत उसे फोन से घर आने पर बताती थी। उसने दरोगा जी के माँगने पर उन्हें अपनी लड़की की शादी का कार्ड दिया था। अभियोजन का यह साक्षी, जो मृतका की माँ है, ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है एवं घटना की पुष्टि की है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित पी.डब्लू-3 रामू गुप्ता ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि इस मुकदमें की मृतका विमला देवी उसकी भतीजी थी। विमला की शादी मठिया कालोनी, रौजा में टिन्कू गुप्ता के साथ हुयी थी। मृतका की मृत्यु के समय मृतका की शादी हो चुकी थी। मृतका जिस समय मरी थी, वह अपनी ससुराल में थी। मृतका की मृत्यु दिनॉक 29.06.2021 को हुयी थी। मरने से लगभग दो वर्ष पहले उसकी शादी हुयी थी। शादी का दिनाँक व महीना व समय उसे ध्यान नही है। मौसम गर्मी का था। शादी के बाद विमला का सम्बन्ध अपनी ससुराल वालों से बहुत खराब था, क्योकि ससुरालीजन उससे दहेज मॉगते थे । दहेज मे एक लाख रूपये व एक मोटर साईकिल माँगते थे, जोकि वे लोग नहीं दे पाये थे, जिस पर ससुराली मृतका को मारते पीटते थे और कहते थे कि दहेज मॅगाओ नहीं तो जान से मार

देगें। विमला को उसकी सास, पति टिन्कू व टिन्कू का भाई मारते पीटते व दहेज के लिये परेशान करते थे। विमला जब ससुराल से घर आती थी, तो वह दहेज मॉगने मारने पीटने व परेशान करने वाली बात उन लोगो को बताती थी। उसने उसे व अपने माता पिता व भाई को उपरोक्त बाते स्वयं बतायी थी। वह उन लोगो को दहेज माँगने वाली बात फोन पर भी बताती थी। विमला ने मरने से लगभग 10-15 दिन पहले उसे फोन से दहेज मांगने व मारने पीटने वाली बात बतायी थी। उसे विमला की मृत्यु के बारे में अपने भाई से पता लगा था। पता चलने पर वह अपने भाई के साथ विमला की ससुराल गया था, जहाँ विमला मृत अवस्था में लटकी हुयी थी, पुलिस वहाँ मौजूद थी। लाश की लिखा पढी वहाँ पर मौजूद नायब तहसीदार महोदय ने दरोगा जी से बोल बोल कर लिखवाकर उसके सामने की थी। उसने लिखा पढी पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। अभियोजन के इस साक्षी ने, जो मृतका का चाचा है, ने भी घटना की पुष्टि करते हुए अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

इस प्रकार अभियोजन के तथ्य के सभी साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए घटना की पुष्टि की है।

16- सतवीर सिंह व अन्य-बनाम-स्टेट आफ हरियाणा क्रिमिनल अपील नं०-1735-1736/2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है किः-

"ISSUE 18- At the outset, it is pertinent to analyze the law on dowry death. Section 304B IPC, which defines, and provides the punishment for dowry demand, reads as under:

"304B- Dowry death.- (1) Where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within seven years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for, or in connection with, any demand for dowry, such death shall be called 'dowry death', and such husband or relative shall be deemed to have caused her death.

Explanation.- For the purpose of this sub section, 'dowry' shall have the same meaning as in Section 2 of the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

(2) Whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to imprisonment for life."

Section 304B (1) defines 'dowry death' of a woman. It provides that 'dowry death' is where death of a woman is caused by burning or bodily injuries or occurs otherwise than under normal circumstances, within seven years of marriage, and it is shown that soon before her death, she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband, in connection with demand for dowry. Sub-clause (2) provides for punishment for those who cause dowry death. Accordingly, in Major Singh v. State of Punjab, (2015) 5 SCC 201, a three Judge Bench of this Court held as follows:

"10. To sustain the conviction under Section 304B IPC, the following essential ingredients are to be established:

(i) the death of a woman should be caused by burns or bodily injury or otherwise than under a 'normal circumstance':

(ii) such a death should have occurred within seven years of her marriage;

(iii) she must have been subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband;

(iv) such cruelty or harassment should be for or in connection with demand of dowry; and

(v) such cruelty or harassment is shown to have been meted out to the woman soon before her death."

9. The first contentious part that exists in the interpretation of Section 304-B, IPC relates to the phrase "soon before" used in the Section. Being a criminal statute, generally it is to be interpreted strictly. However, where strict interpretation leads to absurdity or goes against the spirit of legislation, the courts may in appropriate cases place reliance upon the genuine import of the words, taken in their usual sense to resolve such ambiguities. [refer **Commissioner of Customs (Import), Mumbai v. Dilip Kumar & Company,** (2018) 9 SCC 1, **State of Gujarat v. Mansukhbhai Kanjibhai Shah,** 2020 SCC Online SC 412]. At this juncture, it is therefore necessary to undertake a study of the legislative history of this Section, in order to determine the intention of the legislature behind the inclusion of Section 304B, IPC.

10. Section 304B, IPC is one among many legislative initiatives undertaken by Parliament to remedy a longstanding social evil. The pestiferous nature of dowry harassment, wherein married women are being subjected to cruelty because of covetous demands by husband and his relatives has not gone unnoticed. The Parliament enacted the Dowry Prohibition Act, 1961 as a first step to eradicate this social evil. Further, as the measures were found to be insufficient, the Criminal Law (Second Amendment) Act, 1983 (Act 46 of 1983) was passed wherein Chapter XXA was introduced in the IPC, containing Section 498A.

11. However, despite the above measures, the issue of dowry harassment was still prevalent. Additionally, there was a growing trend of deaths of young brides in suspicious circumstances following demands of dowry. The need for a stringent law to curb dowry deaths was suo-motu taken up by the Law Commission in its 91st Law Commission Report. The Law Commission recognized that the IPC, as it existed at that relevant time, was insufficient to tackle the issue of dowry deaths due to the nature and modus of the crime. They observed as under:

"1.3 If, in a particular incident of dowry death, the facts are such as to satisfy the legal ingredients of an offence already known to the law, and if those facts can be proved without much difficulty, the existing criminal law can be resorted to for bringing the offender to book. IN practice, however, two main impediments arise

(i) either the facts do not fully fit into the pigeonhole of any known offence; or

(ii) the peculiarities of the situation are such that proof of directly incriminating facts is thereby rendered difficult." (emphasis supplied)

12. Taking into consideration the aforesaid Law Commission Report, and the continuing issues relating to dowry related offences, the Parliament introduced amendments to the Dowry Prohibition Act, as well as the IPC by enacting Dowry Prohibition (Amendment) Act, 1986 (Act 43 of 1986). By way of this amendment, Section 304B, IPC was specifically introduced in the IPC, as a stringent provision to curb the menace of dowry death in India. Shrimati Margaret Alva, who presented the Amendment Bill before Rajya Sabha observed as follows:

"This is a social evil and social legislation, as I said cannot correct every thing.

We are trying to see how and where we can make it a little more difficult and therefore we have increased the punishment. We have also provided for certain presumptions because upto now one of our main problem has been the question of evidence. Because the bride is generally burnt or the wife is burnt behind closed doors in her inlaw's home. You have never really heard of a girl being burnt while cooking in her mother's house or her husband's house. It is always in the mother inlaw's house that she catches fire and is burnt in the kitchen. Therefore, getting evidence immediately becomes a great bit problem. Therefore, we have brought in a couple of amendments which give certain

presumptions where the burden of proof shifts to the husband and to his people to show that it was not a dowry death or that it was not deliberately done." (emphasis supplied)

13. There is no denying that such social evil is persisting even today. A study titled "Global study on Homicide: Genderrelated killing of women and girls", published by the United Nations Office on Drugs and Crime, highlighted that in 2018 female dowry deaths account for 40 to 50 percent of all female homicides recorded annually in India. The dismal truth is that from the period 1999 to 2016, these figures have remained constant. In fact, the latest data furnished by the National Crime Records Bureau indicates that in 2019 itself, 7115 cases were registered under Section 304B, IPC alone.

14. Considering the significance of such a legislation, a strict interpretation would defeat the very object for which it was enacted. Therefore, it is safe to deduce that when the legislature used the words, "soon before" they did not mean "immediately before". Rather, they left its determination in the hands of the courts. The factum of cruelty or harassment differs from case to case. Even the spectrum of cruelty is quite varied, as it can range from physical, verbal or even emotional. This list is certainly not exhaustive. No straitjacket formulae can therefore be laid down by this Court to define what exacts the phrase "soon before" entails. The aforesaid position was emphasized by this Court, in the case of **Kans Raj v. State of Punjab,** (2000) 5 SCC 207, wherein the three-Judge Bench held that:

"15. ... "Soon before" is a relative term which is required to be considered under specific circumstances of each case and no straitjacket formula can be laid down by fixing any timelimit. ... In relation to dowry deaths, the circumstances showing the existence of cruelty or harassment to the deceased are not restricted to a particular instance but normally refer to a course of conduct. Such conduct may be spread over a period of time. .... Proximate and live link between the effect of cruelty based on dowry demand and the consequential death is required to be proved by the prosecution. The demand of dowry, cruelty or harassment based upon such demand and the date of death should not be too remote in time which, under the circumstances, be treated as having become stale enough." (emphasis supplied)

A similar view was taken by this Court in **Rajinder Singh v-State of Punjab,** (2015) 6 SCC 477.

15. Therefore, Courts should use their discretion to determine if the period between the cruelty or harassment and the death of the victim would come within the term "soon before". What is pivotal to the above determination, is the establishment of a "proximate and live link" between the cruelty and the consequential death of the victim.

16. When the prosecution shows that 'soon before her death such woman has been subjected by such person to cruelty or harassment for, or in connection with, any demand for dowry', a presumption of causation arises against the accused under Section 113B of the Evidence Act. Thereafter, the accused has to rebut this statutory presumption. Section 113B, Evidence Act reads as under:

"113B. Presumption as to dowry death-When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman has been subjected by such person to cruelty or harassment for, or in connection with, any demand for dowry, the Court shall presume that such person had caused the dowry death.

Explanation. For the purpose of this section, "dowry death" shall have the same meaning as in section 304B of the Indian Penal Code (45 of 1860)"

17. This Court, in the case of **Bansi Lal v. State of Haryana,**(2011) 11 SCC 359, emphasized the mandatory application of the presumption under Section 113B of the Evidence Act once the ingredients of Section 304B of IPC stood proved:

"19. It may be mentioned herein that the legislature in its wisdom has used the word 'shall' thus, making a mandatory application on the part of the court to presume that death had been committed by the person who had subjected her to cruelty or harassment in connection with any demand of dowry. ... Therefore, in view of the above, onus lies on the accused to rebut the presumption and in case of Section 113B relatable to Section 304B IPC, the onus to prove shifts exclusively and heavily on the accused. ...

20. Therefore, in case the essential ingredients of such death have been established by the prosecution, it is the duty of the court to raise a presumption that the accused has caused the dowry death." (emphasis supplied)

18. Therefore, once all the essential ingredients are established by the prosecution, the presumption under Section 113B, Evidence Act mandatorily operates against the accused. This presumption of causality that arises can be rebutted by the accused,"

17- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अनुक्रम में **धारा-304 बी भा०दं०सं०** के आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को निम्न तथ्यों को साबित करना अनिवार्य हैः-

1-किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है, अर्थात उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न हुई हो।

2-ऐसी मृत्यु विवाह के सात वर्षों के अंदर हुई हो।

3-उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने उसके साथ क्रूरता की हो या तंग किया हो।

4-उसके साथ क्रूरता उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व की गयी हो।

5-ऐसी क्रूरता या तंग करना दहेज की किसी मांग या उसके संबंध में किया गया हो।

धारा-304 बी भा०दं०सं० दहेज हत्या के आरोप के प्रथम दो बिन्दु के संबंध में अभियोजन का साक्षी वादी मुकदमा पी.डब्लू 1 द्वारा कथन किया गया कि इस मुकदमें की मृतका विमला उसकी बेटी थी। करीब ढाई साल पहले उसने अपनी बेटी की शादी मुल्जिम टिंकू से की थी एवं अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। आज से लगभग डेढ़ साल पहले मुल्जिमान लोगों ने दहेज की खातिर उसकी बेटी को मार पीटकर फाँसी पर लटकाकर मार डाला। अभियोजन के साक्षी पी.डब्लू 2 राजरानी ने इस संबंध में साक्ष्य दिया कि उसकी पुत्री का नाम विमला था। विमला की मृत्यु हो चुकी है। विमला की मृत्यु के समय उसकी शादी हो चुकी थी। विमला की शादी टिंकू उर्फ शिवपूजन से हुई थी। विमला को मरे आज एक साल हो गया है, दूसरा चल रहा है। जब विमला मरी थी, तब उसकी शादी को एक साल हो गया था। विमला को उसकी ससुराल वालों ने मारकर लटका दिया था। उसने दरोगा जी के माँगने पर उन्हें अपनी लड़की की शादी का कार्ड दिया था। अभियोजन के साक्षी पी.डब्लू 3 रामबाबू गुप्ता ने साक्ष्य में बताया कि इस मुकदमें की मृतका विमला उसकी भतीजी थी, उसकी शादी टिंकू गुप्ता के साथ हुई थी। मृतका की मृत्यु के समय उसकी शादी हो चुकी थी, जिस समय वह मरी थी, वह अपनी ससुराल में थी। मृतका की मृत्यु दिनांक 29.06.2021 को हुई थी। मरने से लगभग दो वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। विमला की मृत्यु के बारे में उसे अपने भाई से पता चला था। पता चलने पर वह अपने भाई के साथ विमला

के ससुराल गया था। जहाँ विमला मृत अवस्था में लटकी हुई थी। पुलिस भी मौजूद थी। इस प्रकार अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण मृतका का पिता वादी मुकदमा पी.डब्लू 1, मृतका की माँ पी.डब्लू 2, मृतका का चाचा पी.डब्लू 3 द्वारा अपने साक्ष्य से मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न होना बताया गया है। पी.डब्लू 5 विवेचक अरविन्द कुमार ए.सी.पी. द्वारा अपने साक्ष्य में बताया गया कि पत्रावली में शामिल शादी का कार्ड मृतका की माँ द्वारा दौरान विवेचना दिया गया था, जिसे साक्षी द्वारा प्रदर्श क 5 के रूप में साबित किया गया है। उक्त शादी के कार्ड में विवाह की तिथि 18.05.2020 अंकित है, जिसमें वादी मुकदमा व उसके परिवारीजनों का नाम अंकित है तथा विमला गुप्ता का विवाह अभियुक्त टिंकू गुप्ता के साथ होना अंकित है एवं थाने पर दी गयी तहरीर में मृतका की मृत्यु दिनांक 19.06.2021 को होना बताया गया है। अभियुक्त द्वारा भी विवाह के सात वर्ष के भीतर मृतका की मृत्यु से इंकार नही किया गया है एवं अभियुक्त की ओर से परीक्षित साक्षी डी.डब्लू 1 सीमा द्वारा भी अपने साक्ष्य में टिंकू उर्फ शिवपूजन की शादी को करीब चार वर्ष पूर्व होना बताया है। ऐसी स्थिति में मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न होना साबित है।

धारा-304 बी भा०दं०सं० दहेज हत्या के आरोप के शेष तीनों बिन्दुओं के संबंध में अभियोजन का साक्षी वादी मुकदमा पी.डब्लू.-1 के रूप में वादी रामदास ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि इस मुकदमें की मृतका विमला उसकी बेटी थी। आज से करीब ढाई साल पहले उसने अपनी बेटी विमला की शादी हाजिर अदालत मुल्जिम टिंकू उर्फ शिवपूजन से की थी और अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया। शादी के बाद हाजिर अदालत मुल्जिम टिंकू उर्फ शिवपूजन व उसकी माँ राजेश्वरी व उसका भाई रामपूजन व उसके रिश्तेदार संजय तथा संजय की पत्नी कंगना और टिंकू का भाँजा रवि उसकी बेटी विमला से अतिरिक्त दहेज में एक मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये की माँग करने लगे। अतिरिक्त दहेज माँगने वाली बात विमला ने उसे उसकी पत्नी व अन्य घरवालों को बतायी, तो उसने विमला के पति व ससुरालवालों से और दहेज दे पाने में असमर्थता जताई, तो उपरोक्त लोग नहीं माने और उसकी बेटी विमला को उपरोक्त दहेज की बिना पर गाली गलौज करके मारपीट करके प्रताड़ित करने लगे। उसने कई बार समझाया, लेकिन नहीं माने, तो उसने उपरोक्त लोगों की महिला थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद महिला थाने में उसे, उसकी बेटी विमला तथा विमला के पति टिंकू उर्फ शिवपूजन तथा विमला के ससुरालवालों को बुलाकर महिला पुलिस ने समझौता करवाकर विमला को उसके पति के साथ ससुराल भिजवाया था। उसके थोड़े दिन बाद उपरोक्त लोग फिर से दहेज में मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये की माँग करके गाली-गलौज करके व मारपीट करके विमला को परेशान करने लगे। आज से करीब डेढ़ साल पहले उपरोक्त लोगों ने दहेज की खातिर उसकी बेटी को मारपीट कर फाँसी पर लटकाकर मार डाला।

अभियोजन की ओर से परीक्षित पी.डब्लू 2 राजरानी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि विमला की शादी टिन्कू उर्फ शिवपूजन के साथ हुई थी। विमला को मरे आज एक साल हो गया है। विमला को उसकी ससुराल वालों ने मारकर लटका दिया था। शादी के बाद विमला के ससुराल वाले उसे एक

लाख रुपया और गाड़ी की माँग को लेकर लगातार मारते पीटते व परेशान करते थे। विमला को उसकी सास, उसका पति और जेठानी की लड़की कन्चना, उसके पति संजय व जेठ रामपूजन परेशान करते थे। उसकी लड़की अपने साथ हुई मारपीट के बाबत मुझे फोन से घर आने पर बताती थी।

पी.डब्लू-3 के रूप में रामू गुप्ता ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि इस मुकदमें की मृतका विमला देवी उसकी भतीजी थी। विमला की शादी मठिया कालोनी, रौजा में टिन्कू गुप्ता के साथ हुयी थी। मृतका की मृत्यु के समय मृतका की शादी हो चुकी थी। मृतका जिस समय मरी थी, वह अपनी ससुराल में थी। मृतका की मृत्यु दिनॉक 29.06.2021 को हुयी थी। मरने से लगभग दो वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद विमला का सम्बन्ध अपनी ससुराल वालों से बहुत खराब था, क्योकि ससुरालीजन उससे दहेज मॉगते थे। दहेज मे एक लाख रूपये व एक मोटर साईकिल माँगते थे, जोकि वे लोग नहीं दे पाये थे, जिस पर ससुराली मृतका को मारते पीटते थे और कहते थे कि दहेज मॅगाओ नहीं तो जान से मार देगें। विमला को उसकी सास, पति टिन्कू व टिन्कू का भाई मारते पीटते व दहेज के लिये परेशान करते थे। विमला जब ससुराल से घर आती थी, तो वह दहेज मॉगने मारने पीटने व परेशान करने वाली बात उन लोगो को बताती थी। उसने उसे व अपने माता पिता व भाई को उपरोक्त बाते स्वयं बतायी थी। वह उन लोगो को दहेज माँगने वाली बात फोन पर भी बताती थी।

अभियोजन की ओर से परीक्षित वादी मुकदमा (मृतका का पिता) पी.डब्लू 1 द्वारा मुख्य परीक्षा में अभियुक्त व उसके परिवारवालों द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में एक मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये की माँग करना बताया गया है, परन्तु दहेज की माँग कब-कब की गयी, किस रूप में की गयी, कब-कब मृतका को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, का विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, मात्र सरसरी तौर पर सामान्य आरोप लगाते हुए अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन व उसके परिवारीजन माँ राजेश्वरी, भाई रामपूजन व रिश्तेदार संजय, संजय की पत्नी कंगना, भाँजा रवि को आरोपित किया गया है। इसी प्रकार पी.डब्लू 2 राजरानी मृतका की माँ द्वारा भी मुख्य परीक्षा में अतिरिक्त दहेज के रूप में एक मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये की माँग करना बताया गया है, किन्तु इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में किसी विशिष्ट तिथि, समय व व्यवहार आदि का उल्लेख नहीं किया गया है, सामान्य आरोप लगाते हुए अभियुक्त व उसके परिवारवालों को आरोपित किया गया है। इसी प्रकार पी.डब्लू 3 द्वारा भी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त व उसके परिवारीजनों पर दहेज प्रताड़ना का सामान्य आरोप लगाते हुए अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन व उसके माता-पिता व भाई पर प्रताड़ना की बात कही है, परन्तु इस साक्षी द्वारा भी किसी विशिष्ट तिथि, समय व व्यवहार आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्यों से यह साबित है कि अभियुक्त व उसके परिवारीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज के लिए मृतका को प्रताड़ित किया गया, परन्तु अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि मृतका को उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की किसी माँग को लेकर प्रताड़ित किया गया हो या उसके साथ दहेज को लेकर क्रूरता कारित की गयी हो। पी.डब्लू 5 विवेचक ए.सी.पी. अरविन्द कुमार ने अपनी जिरह में बताया है कि गवाहों ने दौरान विवेचना प्रताड़ित करने की बात बतायी थी, परन्तु मृत्यु के ठीक पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किये जाने के

संबंध में गवाहों ने कोई समय व दिनांक नहीं बताया था। इस प्रकार अभियोजन द्वारा दहेज हत्या (304 बी) के पंचम बिन्दु को साबित नहीं किया जा सका है, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अनुक्रम में अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन को दहेज हत्या का दोषी नहीं माना जा सकता।

धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व धारा-498A भा०दं०सं० के आरोप के संबंध में:-

अभियोजन के तथ्य के साक्षियों द्वारा मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन व उसके परिवारीजन दहेज के लिए वादी की बेटी (मृतका) को प्रताड़ित करते थे एवं अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख रुपये व एक मोटरसाइकिल की माँग करते थे। माँग पूरी न होने पर उसे मारते-पीटते व प्रताड़ित करते थे। विवेचक द्वारा संपूर्ण विवेचनोपरान्त मात्र टिंकू उर्फ शिवपूजन के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा-498A, 304B भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रेषित किया गया तथा शेष अभियुक्तगण की नामजदगी गलत पाते हुए उनका नाम आरोप पत्र से पृथक किया गया। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया एवं उसके साथ क्रूरता कारित की गयी। इसके अतिरिक्त क्रूरता के संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट व उससे संबंधित विशेषज्ञ साक्षी के साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाना उचित होगा।

अभियोजन की ओर से पी.डब्लू-4 डा० वीरेन्द्र कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 30.06.2021 को उसकी ड्यूटी पी०एम० हाउस में लगी हुयी थी। उस दिन मृतका विमला देवी पत्नी शिव पूजन उर्फ टिन्कू गुप्ता उम्र करीब 21 वर्ष के शव का विच्छेदन समय 02:40 पी०एम० पर शुरू किया था एवं 03:30 पी०एम० पर पूर्ण किया था। शव का विच्छेदन पैनल द्वारा हुआ था जिसमें उसके साथ डॉ० घनश्याम चिकित्साधिकारी सी०एच०सी० पुवायों जिला शाहजहाँपुर भी थे। इस साक्षी द्वारा शव के संबंध में बताया गया कि पी०एम० स्टेनिंग बैंक में मौजूद थी, अकड़न ऊपरी हिस्से से जा रही थी एवं निचले हिस्से में मौजूद थी। आँखें बन्द थी, मुँह खुला हुआ था एवं जीभ बाहर निकली हुयी थी, दॉत 15/15 थे। इस साक्षी द्वारा मृत्यु पूर्व आयी चोटों के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिया गया:-

चोट सं०- 1 गर्दन के चारो ओर 28 से०मी० X 03.50 से०मी० फन्दे का निशान था चिन्न एंव लैरिंगास के मध्य में दाहिने कान से 7 से० मी० नीचे एवं बाँये कान से 04.30 से०मी० नीचे एंव थोडी से 03 से०मी० नीचे ऊपर की ओर तिरछा गले का फन्दा स्थित था, जोकि गर्दन के बाँयी ओर 04 से०मी० का गैप लिये हुआ था। फन्दे का गुरूप सूखा एंव पारचमेन्ट लाइक था, जिसको काटने पर अन्दर के ऊतक सफेद एंव चमकदार थे।

चोट सं0-2 बाँयी जॉघ के बाहरी ओर घुटने से 11 से०मी० ऊपर 04 से०मी० X 03.00 से०मी० का नीलगू निशान था।

चोट सं०-3 बाँये पैर के बाहरी ओर घुटने से 10 से०मी० नीचे 05 से०मी० X 02.00 से०मी० का नीलगू निशान था।

चोट सं0-4 दाहिने वर्सट पर निपल से 2 से०मी० ऊपर 03 से०मी० X 03.00 से०मी० का निशान था।

ब्रेन कन्जेस्टेड था। दोनो फेफेडे कन्जस्टेड थें। दिल का दाहिना हिस्सा भरा हुआ तथा बाँया खाली था, पेटें 200 ग्राम पेस्टी फूड मटेरियल मौजूद था, छोटी ऑत में कायम व गैसें थी तथा बडी ऑत में मल एंव गैसें मौजूद थी। पित्त की थैली आधी भरी हुई थी, लीवर, तिल्ली एंव दोनो गुर्दे कन्जेस्टेड थे। पिशाब की थैली खाली थी, बच्चेदानी भी खाली थी।

इस साक्षी द्वारा अपनी राय में बताया गया कि मृत्यु का समय करीब 1 दिन था एवं मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व हैगिंग से उत्पन्न श्वासावरोध से हुआ था। इस साक्षी द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए एवं पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किये जाने की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क 2 के रूप में साबित किया है।

चोट सं०-2, 3, 4 के संबंध में विशेषज्ञ साक्षी द्वारा बताया गया किः-

चोट सं0-2 बाँयी जॉघ के बाहरी ओर घुटने से 11 से०मी० ऊपर 04 से०मी० X 03.00 से०मी० का नीलगू निशान था।

चोट सं०-3 बाँये पैर के बाहरी ओर घुटने से 10 से०मी० नीचे 05 से०मी० X 02.00 से०मी० का नीलगू निशान था।

चोट सं0-4 दाहिने वर्सट पर निपल से 2 से०मी० ऊपर 03 से०मी० X 03.00 से०मी० का निशान था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका को एन्टीमार्टम इंजरी में उसकी बाँयी जाँघ के बाहरी ओर घुटने से ऊपर, बाँये पैर के बाहरी ओर घुटने से नीचे व दाहिने ब्रेस्ट पर निपल से ऊपर नीलगू निशान यह दर्शित करते हैं कि मृतका को मारा पीटा गया है एवं उसे प्रताड़ित करते हुए उसके साथ क्रूरता की गयी। इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध धारा-498A भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप साबित होता है।

<u>धारा-302 भा०दं०सं० के आरोप के संबंध में</u>

अभियुक्त पर यह भी आरोप है कि उसने वादी मुकदमा रामदास गुप्ता की पुत्री विमला (मृतका) की दिनांक 29.06.2021 को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए साशय उसकी हत्या कारित की , जो भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन दण्डनीय है।

इस आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से पी.डब्लू 1 के रूप में वादी मुकदमा का पिता रामदास परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि उसने अपनी पुत्री विमला का विवाह दिनांक 18.05.2020 को टिंकू उर्फ शिवपूजन के साथ किया था। शादी के बाद टिंकू व उसके घरवाले उसकी बेटी को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडित करने लगे एवं दहेज में एक लाख रुपये व मोटरसाइकिल की माँग करने लगे एवं उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। दिनांक 29.06.2021 को टिंकू पुत्र मदनलाल व टिंकू की माँ व रामपूजन पुत्र मदनलाल व टिंकू का रिश्तेदार संजय व उसकी पत्नी और टिंकू का भाँजा रवि पुत्र आत्माराम मिलकर उसकी पुत्री को जान से मार दिया व दिखावे के तौर पर फाँसी के फंदे पर लटका दिया। टिंकू का संबंध पड़ोस में रहने वाली औरत से है, वह

जैसा कहती है, टिंकू वैसा ही करता है, उसी के कहने पर उसकी पुत्री विमला की हत्या की गयी। इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित इस साक्षी ने जिरह में कहा है कि उसने अपनी लड़की को मारते-पीटते या फाँसी पर लटकाते किसी को नहीं देखा है, जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन का यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और न ही इसने घटना होते हुए अपनी आँखों से देखा है। अभियोजन के इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में बताया गया कि घटना की सूचना विमला के पड़ोसियों से मिलने पर वह अपने परिवार वालों व रिश्तेदारों के साथ विमला के ससुराल पहुँचा, तो विमला के पति सहित ससुराल का कोई संबंधी मौजूद नहीं था। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, फिर उसने थाने पर तहरीर दी, जबकि इसी साक्षी द्वारा जिरह में यह कहा गया कि वह थाने पर रिपोर्ट लिखाकर अपने घर वापस आ गया था, टिंकू के घर नहीं गया था। सुबह वह चीरघर गया था। वहाँ से लड़की की लाश लेकर अपने घर ग्राम गोबर बण्डा चला गया था और वहीं पर शाम को दाह संस्कार किया था, जिससे इस साक्षी का साक्ष्य संदेहास्पद हो जाता है।

अभियोजन की ओर से पी.डब्लू 2 के रूप में मृतका की माँ राजरानी परीक्षित हुई है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि उसकी पुत्री को उसके पति टिंकू उर्फ शिवपूजन व ससुरालवाले अतिरिक्त दहेज के रूप में एक मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये को लेकर मारते-पीटते व प्रताड़ित करते थे। उसकी पुत्री को उसकी सास, उसका पति, व जेठानी की लड़की कंचना, उसका पति संजय, जेठ रामपूजन परेशान करते थे। उसकी लड़की विमला को उसके ससुरालवालों ने मारकर लटका दिया। इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया गया है।

अभियोजन के इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में केवल यह बताया है कि उसकी लड़की विमला को ससुरालवालों ने मारकर लटका दिया, इसके अतिरिक्त मुख्य परीक्षा में कुछ नहीं कहा। अभियोजन के इस साक्षी ने जिरह में कहा कि उसने अपनी लड़की को छत से लटके हुए नहीं देखा था। उसने रिंकू द्वारा उसकी पुत्री विमला को छत से लटकाते हुए भी अपनी आँखों से नहीं देखा था। पुलिस ने उससे बताया था कि उसकी लड़की जिस कमरे में पंखे से लटकी थी, उसका दरवाजा अन्दर से बन्द था, जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन का यह साक्षी भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नही है, उसने अपनी आँखों से घटना होते नहीं देखा, बल्कि पुलिस द्वारा बताने पर उसे जानकारी हुई थी कि जिस कमरे में उसकी लड़की पंखे से लटकी थी, उसका दरवाजा अन्दर से बन्द था, जिससे अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री की साशय हत्या किया जाना सन्देहास्पद हो जाता है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित पी.डब्लू 3 रामू गुप्ता ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतका विमला देवी उसकी भतीजी थी। मृतका की मृत्यु दिनांक 29.06.2021 को हुई थी। मृतका जिस समय मरी थी, अपनी ससुराल में थी। उसके ससुराली दहेज में एक लाख रुपये व एक मोटरसाइकिल माँगते थे। न देने पर उसे मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे। उसकी भतीजी विमला की मृत्यु के बारे में उसे अपने भाई से पता चला, तो वह अपने ससुराल गया, तो वहाँ मृतका विमला मृत अवस्था में लटकी हुई थी,

पुलिस वहाँ मौजूद थी। लाश की लिखापढ़ी उसके समक्ष नायब तहसीलदार ने दरोगा से बोल बोलकर लिखवाकर उसके सामने करवाई थी।

इस प्रकार अभियोजन के तथ्य के सभी साक्षी घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं। उन्होंने घटना होते स्वयं नहीं देखा है, बल्कि सूचना पाने पर वह अपनी बेटी की ससुराल गये, तत्पश्चात उनके द्वारा दहेज हत्या का मुकदमा अभियुक्त व उसके परिवार वालों के विरुद्ध दर्ज करवाया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त शिवपूजन उर्फ टिंकू गुप्ता द्वारा स्वयं दिनांक 29.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना रौजा, जिला शाहजहाँपुर को इस आशय की सूचना दी गयी कि प्रार्थी टिंकू अंडे लेने के लिए शाहजहाँपुर गया था, जब वह वापस आया, तो उसके मकान का दरवाजा अन्दर से बन्द था। जंगले से झाँककर देखा, तो उसकी पत्नी विमला देवी ने अपने गले में साड़ी बाँध रखी थी और फँदे पर लटककर फाँसी लगा ली थी। सूचना को आया हूँ। आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन की उक्त सूचना का इन्द्राज जी.डी. कायमी पर जी.डी. सं०-44 दिनांक 29.06.2021 समय 19.28 पर दर्ज है, जिसे पी.डब्लू 5 ए.सी.पी. अरविन्द कुमार द्वारा प्रदर्श क 6 व प्रदर्श क 7 के रूप में साबित किया गया है। पी.डब्लू 5 ए.सी.पी. अरविन्द कुमार द्वारा अपनी जिरह में कहा गया है कि यह कहना सही है कि इस मुकदमा के अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन द्वारा अपनी पत्नी विमला देवी द्वारा आत्महत्या कर लेने के संबंध में थाना रौजा पर सूचना दी थी, जिसका इन्द्राज दिनांक 29.06.2021 को रोजनामचा पर समय 07.28 मिनट पर क्र०सं०-44 पर दर्ज हुई थी। पी.डब्लू 7 उ०नि० प्रदीप कुमार ने जिरह में कहा है कि **"जब मैं मौके पर पहुंचा था, तब जिस कमरे में मृतका लटकी थी, उस कमरे का दरवाजा अन्दर से बन्द था, जिसको मेरे द्वारा मौके पर मौजूद मृतका के परिजनों द्वारा तोड़कर खुलवाया गया था। मृतका के हाथों में किसी प्रकार की कोई चोट या खरोंच आदि नहीं थी। पंचायतनामा भरते समय मृतका का पति टिंकू उर्फ शिवपूजन मौके पर मौजूद था।"**

इस प्रकार अभियोजन के इस साक्षी के साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि मृतका जिस कमरे में लटकी थी, वह कमरा अन्दर से बन्द था, जिसके दरवाजे को उसके परिजनों द्वारा तोड़कर खुलवाया गया। इस प्रकार अभियोजन के इस साक्षी के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन ने मृतका को साशय मारकर पंखे से लटकाया हो।

अभियोजन की ओर से पी.डब्लू-4 डा० वीरेन्द्र कुमार, जिसने मृतका के शव का विच्छेदन किया है, ने मृतका के शरीर पर आयी मृत्यु पूर्व आयी चोटों के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिया हैः-

चोट सं०- 1 गर्दन के चारो ओर 28 से०मी० X 03.50 से०मी० फन्दे का निशान था चिन्न एंव लैरिंगास के मध्य में दाहिने कान से 7 से० मी० नीचे एवं बाँये कान से 04.30 से०मी० नीचे एंव थोडी से 03 से०मी० नीचे ऊपर की ओर तिरछा गले का फन्दा स्थित था, जोकि गर्दन के बाँयी ओर 04 से०मी० का गैप लिये हुआ था। फन्दे का गुरूप सूखा एंव पारचमेन्ट लाइक था, जिसको काटने पर अन्दर के ऊतक सफेद एंव चमकदार थे।

चोट सं0-2 बाँयी जॉघ के बाहरी ओर घुटने से 11 से०मी० ऊपर 04 से०मी० X 03.00 से०मी० का नीलगू निशान था।

चोट सं०-3 बाँये पैर के बाहरी ओर घुटने से 10 से०मी० नीचे 05 से०मी० X 02.00 से०मी० का नीलगू निशान था।

चोट सं0-4 दाहिने वर्सट पर निपल से 2 से०मी० ऊपर 03 से०मी० X 03.00 से०मी० का निशान था।

अभियोजन के इस साक्षी, जो विशेषज्ञ है, ने चोट सं०- 2 ता 4 को निलगू निशान बताया है, जो साधारण प्रकृति के हैं, जिनसे मृत्यु होना संभव नहीं है। इस साक्षी ने अपनी राय में बताया कि मृत्यु का समय करीब 1 दिन था एवं मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व हैगिंग से उत्पन्न श्वासावरोध से हुआ था। इस साक्षी ने जिरह में चोट सं०-1 के संबंध में बताया है कि चोट सं०-1, जो कि लिगेचर मार्क (गर्दन पर फंदे का निशान) मृत्यु पूर्व लटकाने से आया है, यह निशान मारकर लटकाने से नहीं आ सकता। इस साक्षी ने यह भी बताया कि उसने अपनी रिपोर्ट में मृतका की जीभ को बाहर निकले होने का अंकन किया है, जिसका आशय है कि मृतका लटक कर मरी थी। उसको मारकर नहीं लटकाया गया था। इस प्रकार विशेषज्ञ साक्षी के साक्ष्यों से यह दर्शित है कि मृतका को मारकर नहीं लटकाया गया है।

इस प्रकार अभियोजन के तथ्य के साक्षी व औपचारिक साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन ने अपनी पत्नी विमला की साशय हत्या करके उसे कमरे के अन्दर पंखे से लटकाया हो, परन्तु अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पीड़िता ने आत्महत्या की है। पूर्व में साक्ष्यों के विश्लेषण से यह साबित है कि अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन ने अतिरिक्त दहेज के लिए मृतका को प्रताड़ित किया, जिसे अभियोजन के तथ्य के साक्षी पी.डब्लू 1 मृतका का पिता, पी.डब्लू 2 मृतका की माता व पी.डब्लू 3 मृतका का चाचा ने अपने साक्ष्यों से समर्थित किया है। पी.डब्लू 4 विशेषज्ञ साक्षी डा० विरेन्द्र कुमार के साक्ष्यों में उल्लिखित पीड़िता को आयी चोट सं०-2 ता 4 से भी अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ क्रूरता किया जाना साबित होता है। पति होने के नाते अभियुक्त टिंकू का यह दायित्व था कि वह अपनी पत्नी को मानसिक व शारीरिक पीड़ा से बचाये, परन्तु उसके द्वारा पति धर्म का पालन न करके मृतका को अतिरिक्त दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया एवं उसे आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मृतका द्वारा कमरे को बन्द करके फाँसी लगाकर आत्महत्या कारित की गयी। अतः अभियोजन अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन के विरुद्ध धारा-302 भा०दं०सं० का अपराध साबित करने में असफल रहा है, परन्तु अभियुक्त टिंकू के विरुद्ध धारा-306 भा०दं०सं० का अपराध पूर्णतः साबित है।

अभियोजन की ओर से पी.डब्लू 6 उ०नि० आनन्द पाल सिंह ने दिनांक 29.06.2021 को थाना रौजा पर तैनाती के दौरान वादी की लिखित तहरीर के आधार पर चिक एफ.आई.आर. सी.सी.टी.एन.एस. साफ्टवेयर पर स्वयं शब्द बशब्द बोलकर अंकित करायी एवं उसी दिनांक को समय

21.50 बजे थाने के रोजनामचाआम पर प्रविष्ट सं०-50 कायमी अंकित करायी गयी। इस साक्षी द्वारा चिक एफ.आई.आर. व जी.डी. कायमी को प्रदर्श क 8 व प्रदर्श क 9 के रूप में साबित किया गया।

अभियोजन की ओर से पी.डब्लू 7 एस.आई. प्रदीप कुमार ने दिनांक 29.06.2021 को सूचना के आधार पर मृतका विमला पत्नी टिंकू उर्फ शिवपूजन के शव का पंचायतनामा टिंकू उर्फ शिवपूजन के घर पर जाकर लगभग 19.45 बजे प्रारंभ करके 20.45 बजे पूर्ण किया। पंचायतनामे की कार्यवाही में नियुक्ति पंचान, मौके की स्थिति, लाश की स्थिति तथा मृतका के शव पर मौजूद चोटों एवं कपड़ों का विवरण तथा राय पंचान एवं अपनी राय का उल्लेख करते हुए पंचायतनामा, फोटोनाश, चालान नाश, चिट्ठी सी.एम.ओ., चालान नाश को नायब तहसीलदार ऋतुराज के निर्देशन में तैयार करना बताया है। इस साक्षी ने उक्त प्रपत्रों को क्रमशः प्रदर्श क 10 लगायत प्रदर्श क 14 के रूप में साबित किया है।

अभियोजन की ओर से विवेचक पी.डब्लू 5 ए.सी.पी.-03 अरविन्द कुमार ने बतौर सी.ओ. सदर दिनांक 29.06.2021 को विवेचना ग्रहण करके चिक एफ.आई.आर. व जी.डी. कायमी का अवलोकन कर वादी मुकदमा का बयान अंकित किया गया तथा उसकी निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल करके नक्शा नजरी तैयार किया गया। पंचायतनामा एवं मृतका के पोस्टमार्टम का अवलोकन कर उसका विवरण अंकित किया गया। अभियुक्त मुशर्रफ की गिरफ्तारी व उसका बयान अंकित किया गया। अभियुक्त टिकू उर्फ शिवपूजन द्वारा थाने पर दी गयी सूचना एवं उसकी कायमी सं०-19 का विवरण अंकित किया। स्वतंत्र साक्षियों व अन्य साक्षियों का बयान दौरान विवेचना अंकित किया गया एवं विवेचनोपरान्त अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन की अपराध में संलिप्तता पाते हुए आरोप पत्र 367/2021 अंतर्गत धारा-498A, 304B भा०दं०सं० व 3/4 डी.पी. एक्ट न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोजन के इस साक्षी ने आरोप पत्र, नक्शा नजरी, शादी कार्ड, कायमी जी.डी. व अभियुक्त द्वारा दी गयी सूचना को क्रमशः प्रदर्श क 3 लगायत प्रदर्श क 7 के रूप में साबित किया है।

अभियोजन के उपरोक्त साक्षीगण पी.डब्लू 6 उ०नि आनन्द पाल सिंह, पी.डब्लू 7 उ०नि० प्रदीप कुमार व पी.डब्लू 5 ए.सी.पी.-03 अरविन्द कुमार औपचारिक साक्षी हैं, जिन्होंने औपचारिक प्रपत्र तैयार किये हैं एवं उन्हें साबित करते हुए अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

उपरोक्त विवेचना से अभियोजन अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा-304B व 302 भा०दं०सं० युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है, जबकि अभियोजन द्वारा धारा-498A, 306 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपों को सन्देह से परे साबित किया गया है।

18- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये हैंः-

A- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने अभियुक्त व उसके परिवार वालों पर सामान्य आरोप लगाये हैं, किसी विशिष्ट तिथि, समय आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

B- अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन का आचरण सुसंगत है।

C- अभियुक्त व मृतका का विवाह कोरोना काल में हुआ था एवं दहेज की माँग नहीं की गयी थी। अभियुक्त पैर से विकलांग है।

D- अभियोजन की ओर से मृतका के परिवार वालों को परीक्षित कराया गया है, जो हितबद्ध साक्षी है।

E- किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

F- अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य में परीक्षित साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

G- अभियुक्त निर्दोष है, उसे रंजिशन फँसाया गया है। मृतका द्वारा आत्महत्या की गयी है।

H- थाने में दी गयी तहरीर में किये गये संदेहास्पद हैं।

19- विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने अभियुक्त व उसके परिवार वालों पर सामान्य आरोप लगाये हैं। किसी विशिष्ट तिथि, समय आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा तहरीर में महिला थाने में शिकायत व समझौता होने का भी कथन किया गया है, परन्तु उक्त समझौता को न तो शामिल किया गया है, न ही उसे साबित किया गया है। जिसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त होगा। विद्वान ए.डी.जी.सी. द्वारा विरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी रामदास द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर में यह उल्लिखित किया गया है कि अभियुक्त व उसके घरवाले उसकी बेटी विमला को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे एवं मारते पीटते थे तथा यह भी उल्लिखित किया है कि महिला थाने में शिकायत की थी, बाद में समझौता हुआ था। समझौते के बाद भी अभियुक्त व उसके घरवाले उसकी बेटी को मारते पीटते थे। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से महिला थाना में हुई शिकायत व समझौता आदि के संबंध में कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किये हैं, न ही वादी द्वारा ऐसे किसी प्रपत्र को दाखिल किया गया है। अभियोजन के साक्षियों ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त व उसके परिवार वालों पर सामान्य आरोप लगाते हुए किसी विशिष्ट तिथि व समय का उल्लेख नहीं किया है, जिसे पूर्व में पैरा-17 में न्यायालय द्वारा विश्लेषित किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता के तर्क में बल पाया जाता है।

20- विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन का आचरण सुसंगत है, उसने स्वंय थाने पर सूचना दी एवं पंचनामा व पोस्टमार्टम के समय उपस्थित रहा। यदि अभियुक्त दोषी होता, तो घटनास्थल से भाग जाता, ऐसी स्थिति में इसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त होगा। विद्वान ए.डी.जी.सी. द्वारा विरोध किया गया।

पूर्व में पैरा-17 में यह विश्लेषित किया जा चुका है कि अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन पंचनामा के समय उपस्थित रहा एवं उसी ने सर्वप्रथम थाने पर बताया कि उसकी पत्नी दरवाजा बन्द करके अन्दर पंखे से लटक गयी है। अभियुक्त का आचरण प्रश्नगत मामले में सुसंगत है और यह दर्शित

करता है कि अभियुक्त ने मृतका विमला देवी की हत्या कारित नहीं। ऐसे में विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बल पाया जाता है।

21- विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त व मृतका का विवाह कोरोना काल में हुआ था, जिसमें काफी कम संख्या में लोग विवाह में आये थे एवं दहेज की माँग नहीं की गयी थी। अभियुक्त पैर से विकलांग है, ऐसी स्थिति में इसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त होगा। विद्वान ए.डी.जी.सी. द्वारा विरोध किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित है कि अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन का विवाह कोरोना काल में हुआ था एवं विवाह के अवसर पर कम संख्या में लोग आये थे, परन्तु अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में दहेज प्रताड़ना अभियुक्त व उसके परिवारीजनों द्वारा किया जाना बताया है। पूर्व में पैरा 17 में विश्लेषित किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में बल नहीं है।

22- विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन की ओर से मृतका के परिवार वालों को परीक्षित कराया गया है, जो हितबद्ध साक्षी है, जिसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त होगा। विद्वान ए.डी.जी.सी. द्वारा विरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से मृतका के पिता पी.डब्लू 1, मृतका की माता पी.डब्लू 2 व मृतका के चाचा पी.डब्लू 3 परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है एवं घटना की पुष्टि की है। अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षियों द्वारा भी अभियोजन प्रपत्रों को साबित करते हुए अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। मृतका द्वारा मृत्यु के पूर्व अपने माता पिता चाचा व संबंधियों को दहेज प्रताड़ना की बात बतायी गयी है, जैसा अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से साबित है। ऐसे में पारिवारिक सदस्य होने के नाते अभियोजन साक्षी को हितबद्ध साक्षी नहीं माना जा सकता। प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजन साक्षियों से घटना पूर्णतया साबित होती है। ऐसे में विद्वान अधिवक्ता का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

23- विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त होगा। विद्वान ए.डी.जी.सी. द्वारा विरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, बल्कि अभियोजन की ओर से मृतका के परिवारीजनों को परीक्षित कराया गया है। प्रश्नगत मामले में दहेज प्रताड़ना व क्रूरता का आरोप लगाया गया है, जो घर के अन्दर कारित होता है। पूर्व में पैरा-17 में अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण किया जा चुका है। ऐसे में मात्र स्वतंत्र साक्षी के परीक्षित न होने से अभियुक्त को दोषमुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती। ऐसे में विद्वान अधिवक्ता का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

24- विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य में परीक्षित साक्षी सीमा व नीलम जो उसके पड़ोसी हैं, ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, जिसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त होगा। विद्वान ए.डी.जी.सी. द्वारा विरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य में डी.डब्लू 1 के रूप में सीमा परीक्षित हुई है, जिन्होंने अपने साक्ष्य में बताया है " मैं टिंकू उर्फ शिवपूजन के पड़ोस में मेरा मायका है। मैं अपने मायके आती जाती रहती हूँ। मैं अपने मायके आठवें दसवें दिन में आ जाती हूँ। टिंकू उर्फ शिव पूजन की शादी को हुए करीब चार वर्ष हो चुके हैं। मैंने टिंकू उर्फ शिव पूजन की पत्नी से कभी कोई बात नहीं की। मैं टिंकू उर्फ शिव पूजन की पत्नी जब घर में होती थी, तब मैं कभी भी टिंकू उर्फ शिव पूजन के घर नहीं गयी थी। टिंकू उर्फ शिव पूजन का अपने ससुराल वालों से दहेज को लेकर कोई मामला था और न ही दहेज के बाबत इनका कोई झगड़ा नहीं हुआ था। जब मैं अपने मायके में थी, तो टिंकू उर्फ शिव पूजन की पत्नी ने फाँसी लगा ली थी, तब मैं टिंकू उर्फ शिवपूजन के घर गयी थी। टिंकू उर्फ शिव पूजन के घर पहुँची, तो मैंने देखा कि चारपाई पर टंकी रखी थी, उस पर चढ़कर उसने फाँसी लगायी थी। कमरा अन्दर से बन्द था। मैं मौके पर रुकी थी। मेरे सामने मौके पर पुलिस आ गयी थी। पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस वालों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर उसे निकाला था।"

अभियुक्त की ओर से परीक्षित इस साक्षी ने जिरह में बताया है कि वह पहली बार अदालत में गवाही देने आयी है। टिंकू उर्फ शिवपूजन के वकील साहब ने उसे तारीख बतायी थी, तब वह गवाही देने आयी थी। टिंकू उर्फ शिवपूजन ने ही उसे वकील साहब से मिलवाया था। फिर वकील साहब ने कहा, तो वह आज अदालत में पहली बार गवाही देने आयी है, इसके पूर्व टिंकू उर्फ शिवपूजन ने उससे कभी नहीं कहा कि डी.एम. साहब या एस.पी. साहब या किसी बड़े अधिकारी को चलकर सारी बात बता दो। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर दहेज प्रताड़ना व क्रूरता आदि का आरोप लगाया गया है, जो प्रायः घर के अन्दर परिवारीजनों द्वारा कारित किया जाता है, ऐसे में किसी पड़ोसी को इस बात की जानकारी निश्चित रूप से रही हो, यह स्वाभाविक नहीं है। ऐसी स्थिति में इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाता है।

अभियुक्त की ओर से परीक्षित डी.डब्लू 2 नीलम ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " मैं टिन्कू उर्फ शिवपूजन के पड़ोस में रहती हूँ और इस स्थान पर मैं लगभग 25 वर्षों से रह रही हूँ। मेरा टिन्कू उर्फ शिवपूजन के यहाँ आना जाना है। मैं टिंकू की शादी में शामिल हुई थी। मैं टिंकू की पत्नी से मिलने शादी की पहली विदा में गयी थी और उससे जब बातचीत की, तो उसके हावभाव व बातों से मुझे ये पता चला कि उसका दिमाग कुछ हल्का है। मैं शादी के बाद भी टिन्कू के घर आती जाती रही। मेरे आने जाने के दौरान टिन्कू व उसके परिजनों द्वारा अपनी पत्नी व मायके वालों ने शादी के बाद कोई अतिरिक्त दहेज की न तो माँग की गयी और न ही उसको लेकर कभी कोई विवाद हुआ। टिंकू के पत्नी दो तीन बार मेरे घर आयी और एक बार मुझे बिना बताये कहीं चली गयी, तब मैंने उसको काफी तलाश किया, तो वह मोहल्ले में काफी दूरी पर रेलवे लाइन के किनारे मिली थी, तब मैं उसको समझा कर घर ले आयी थी। टिन्कू की पत्नी ने मानसिक कमजोरी में दो बार घर में छत के कुण्डे से लटककर भी जान देने की कोशिश

की थी, किन्तु टिन्कू ने अपनी होशियारी से उसको बचा लिया था। टिन्कू ने अपनी पत्नी की इन हरकतों की शिकायत अपने सास ससुर से की, तो उन लोगों ने टिन्कू से कहा कि वो हमारे यहाँ भी ऐसी ही हरकतें करती थी। इसलिये हम लोग नहीं आयेंगे। तुम अपना देखो। विमला की माँ ने मुझे एक बार टिन्कू के यहाँ आने पर ये जानकारी दी थी कि विमला अपने मायके में लैट्रिन के गढढे में जो कि घर में खुदा था, उसमें भी डूबकर जान देने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन विमला के माता पिता ने उसे बचा लिया था और विमला की इसी मानसिक कमजोरी की वजह से वह कभी स्कूल भी पढ़ने नहीं गयी, यह जानकारी भी विमला की माँ ने मुझे दी थी। घटना वाले दिन मैं भी टिन्कू के घर गयी थी। उस समय पुलिस भी मौजूद थी, वहाँ पर तो मैंने कमरे की खिड़की से देखा, तो विमला पंखे के कड़े से धोती गले में बाँधकर लटकी थी और कमरे का दरवाजा अन्दर से बन्द था। तब पुलिस ने मेरे सामने कमरे का दरवाजा खोला था। पुलिस द्वारा मुझसे व मौके पर मौजूद अन्य लोगों से पूछताछ की थी। टिन्कू ने न तो कोई दहेज माँगा है और न ही दहेज की खातिर अपनी पत्नी को कभी प्रताड़ित किया और न ही उसकी हत्या की है। टिन्कू की पत्नी दिमागी कमजोरी के चलते खुद ही लटक कर जान दे दी है। "

इस साक्षी ने सफाई साक्ष्य में मृतका को मंदबुद्धि का होना, रेलवे लाइन से मृतका को समझा बुझा कर घर ले आना, मृतका का मानसिक कमजोरी के कारण दो बार घर की छत के कुंडे से लटककर जान देने की कोशिश करना, टिंकू द्वारा होशियारी से उसे बचा लेना, मृतका का अपने मायके में लैट्रिन के गड्ढे में डूबकर जान देने की कोशिश करना बताया है, जबकि अभियुक्त ने अपने बयान अंतर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० में ऐसा कोई आधार नहीं लिया है। इस साक्षी द्वारा पहली बार अदालत में अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन की निर्दोषिता के बाबत गवाही दी गयी, परन्तु इसके पूर्व इस साक्षी द्वारा किसी अन्य अधिकारी से इस संबंध में कथन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में इस साक्षी का साक्ष्य सन्देहास्पद हो जाता है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

25- विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन निर्दोष है। उसने अपनी पत्नी की दहेज हत्या नहीं कारित की है। मृतका को किसी प्रकार की चोट नहीं आयी थी एवं दरवाजा अन्दर से बन्द था। अकेले एक अभियुक्त द्वारा मृतका की हत्या करना संभव नहीं है, मृतका ने पंखे से लटककर आत्महत्या की है, जिसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त होगा। विद्वान ए.डी.जी.सी. द्वारा विरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में पैरा-17 में विश्लेषित एवं निष्कर्षित किया जा चुका है कि अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन ने मृतका की न तो हत्या की और न ही दहेज हत्या की, परन्तु उसके द्वारा मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मृतका ने आत्महत्या की। ऐसे में विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में बल नहीं पाया जाता है।

26- विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादी मुकदमा द्वारा तहरीर में महिला थाना में शिकायत व सुलहनामा का कथन किया है, परन्तु कोई सुलहनामा अभियोजन द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादी मुकदमा द्वारा तहरीर में अभियुक्त व उसके परिवार के 5 लोगों को

नामजद किया गया है, जबकि विवेचक द्वारा केवल अभियुक्त टिंकू के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, जिससे वादी द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर में किये गये कथन संदेहास्पद हो जाते हैं, जिसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त होगा। विद्वान ए.डी.जी.सी. द्वारा विरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा रामदास द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर में महिला थाने में शिकायत के बाद समझौता होने का कथन किया गया है तथा अभियुक्त व उसके परिवारिक सदस्यों को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है। विवेचक द्वारा संपूर्ण विवेचक करते हुए अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है एवं अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता बतायी गयी है। मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अन्य अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता न पाये जाने के कारण उनका नाम पृथक करने के आधार पर अभियुक्त को निर्दोष नहीं माना जा सकता। जहाँ तक सुलहनामा दाखिल न करने का प्रश्न है, इस संबंध में कथन करना है कि अभियोजन के अन्य साक्षियों द्वारा घटना की पुष्टि करते हुए अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, ऐसे में सुलहनामा दाखिल न होने से अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता के तर्कों में बल पाया जाता है।

27- उपरोक्त विवेचना के पश्चात न्यायालय की राय में अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा-304B, 302 भा०दं०सं० का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध केवल धारा-498A, 306 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे साबित किया गया है, जिसके लिए अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन को धारा– 304B, 302 भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन को धारा–498A, 306 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उनके जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं। प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। उसे तुरन्त न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। पत्रावली दण्डादेश के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 20.03.2026 को पेश हो।

दिनांकः–19.03.2026

(आशीष वर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं०–1, शाहजहाँपुर।
आई०डी०सं०–यू०पी० 6211

दिनांकः–20.03.2026

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन जेरे हिरासत पुलिस जेल से उपस्थित है। दण्ड के बिन्दु पर दोषसिद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि उसका पहला अपराध है। परिवार में वह अकेला कमाने वाला सदस्य है, वह अत्यन्त गरीब है। कोई और देखभाल करने वाला नहीं है। सारी जिम्मेदारी उसी की है। उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। 27 माह पूर्व में जेल में निरुद्ध रहा है, विचारण में सहयोग किया है। अभियुक्त की परिस्थितियों पर सहानुभूति प्रकट करते हुए कम से कम सजा व जुर्माने से दण्डित किया जाये।

जबकि विद्वान अभियोजक की ओर से घोर विरोध किया गया और कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा आत्महत्या के लिए उकसाया गया, जिस कारण उसने फाँसी लगा ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। ऐसे में अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये। इस संदर्भ में निर्णयज विधि **अहमद हुसैन वली मोहम्मद सैय्यद–बनाम–स्टेट आफ गुजरात (2009) 7 एस.सी.सी.** 254 के मामले में शीर्ष न्यायालय ने यह धारित किया है कि–''99..... यथोचित न्याय निर्णयन का उद्देश्य समाज की सुरक्षा करना और कि यथोचित दण्डादेश अधिरोपित करते हुए अपराधियों के विधि के प्रकट लक्ष्य को प्राप्त करने से वशीकृत कर रोकना है। प्रत्याशा किया जाता है कि न्यायालय दण्डादेश संबंधी तंत्र को इस प्रकार परिचालित करें, ताकि ऐसे दण्ड का अधिरोपण किया जाये, जिससे कि समाज सद्विवेक प्रतिबिम्बित होता हो और दण्ड देने की प्रक्रिया को सख्त किया जाये, जहाँ कि ऐसा होना चाहिए। ऐसे अपराधों के संबंध में मात्र समय के अभाव के कारण किसी उदार दृष्टिकोण द्वारा अपर्याप्त दण्डादेश अधिरोपित करने से या अत्याधिक नरमियत बरतने से परिणामतः प्रति उत्पादनकारी होगा और सामाजिक हितों के विरूद्ध देखरेख करना और कि दण्डादेश पद्धति में निर्मित भयोपकारी तंत्री द्वारा बल प्रदान करना आवश्यक होता है।'' माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हिमांचल प्रदेश राज्य–बनाम–श्रीकांत शेखरी** 2005 (1) **जे.आई.सी. 115 एस.सी. व दिनेश उर्फ बुद्धा–बनाम–राजस्थान राज्य** 2006 **ए.आई.ए.आर. (किमिनल) 178** के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गयी है कि दण्ड की मात्रा पीड़िता या अपराधी के सामाजिक स्तर पर निर्भर नहीं करती, वह तो पीड़िता की दशा एवं आयु व अभियुक्त के आचरण की गम्भीरता पर निर्भर करती है। अपराध गम्भीर होने के अतिरिक्त दूरगामी प्रभाव वाला है, और दण्ड के मामले में न्यायालय द्वारा कड़ाई बरती जानी चाहिए, उद्देश्य समाज की रक्षा और ऐसे अपराध रोकने का है। वर्तमान मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा आत्महत्या के लिए उकसाया गया, जिस कारण उसने पंखे से लटककर

आत्महत्या कर ली। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को निम्नरूपेण दण्डित किये जाने से न्याय का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है।

आदेश

दोषसिद्ध अभियुक्त टिंकू उर्फ शिवपूजन को **धारा–306 भा0 दं0 सं0** के अन्तर्गत **04 वर्ष के साधारण कारावास** एवं **मु0–15,000/– रूपये (पन्द्रह हजार रूपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को **10 दिन** के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

धारा–498ए भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत **03 वर्ष के साधारण कारावास** एवं **मु0–5,000/– रूपये (पाँच हजार रूपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को **07 दिन** के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत **02 वर्ष के साधारण कारावास** एवं **मु0–5,000/– रूपये (पाँच हजार रूपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को **07 दिन** के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि नियमानुसार सजा में समायोजित की जायेगी।

इस मामले में सभी भौतिक प्रदर्श अपील अवधि तक सुरक्षित रखी जाये, तथा अपील अवधि उपरान्त उनका निस्तारण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्यथा किया जाये।

अभियुक्त का दोषसिद्ध अधिपत्र तैयार कर जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

अभियुक्त को निर्णय की प्रति नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जाये एवं निर्णय की एक प्रति अधीक्षक जिला कारागार, शाहजहॉपुर को भी प्रेषित की जाये।

दं०प्र०सं० की धारा–365 के प्राविधानों के तहत इस निर्णय की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु जिला मजिस्ट्रेट शाहजहॉपुर को प्रेषित की जाए।

दिनांकः–20.03.2026

(आशीष वर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं०–1, शाहजहाँपुर।
आई०डी०सं०–यू०पी० 6211

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः–20.03.2026

(आशीष वर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं०–1, शाहजहाँपुर।
आई०डी०सं०–यू०पी० 6211